रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/99

REGISTERED NO. DL-33001/99

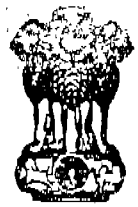

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 9, 1999 (आश्विन 17, 1921)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 9, 1999 (ASVINA 17, 1921)

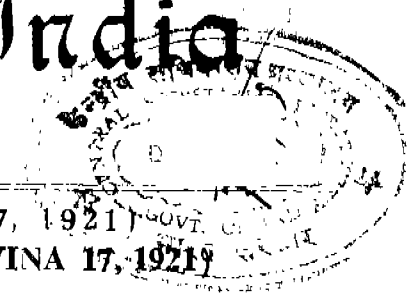

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनायें	815
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनायें	797
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनायें	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनायें ..	1361
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनायें	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश ..	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें	927
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनायें और नोटिस	947
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनायें जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3641
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किये गये विज्ञापन और नोटिस	639
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी शब्दों के जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक —	*

*जोड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—Section 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	815
PART I—Section 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	797
PART I—Section 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5
PART I—Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1361
PART II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi Languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—Section 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—Section 3—Sub-section (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—Section 3—Sub Sec. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 of Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—Section 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—Section 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	927
PART III—Section 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	947
PART III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3641
PART IV—Advertisements and Notices issued by private Individuals and private Bodies	639
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर, 1999

सं० 102-प्रेज/99.—राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अशोक कुमार, (दिवंगत)
कांस्टेबल,
नई दिल्ली

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया :

2/3 जनवरी, 1999 के बीच की रात को लगभग 9.30 बजे करोल बाग में प्रहलाद मार्किट में गश्त लगाते समय, कांस्टेबल अशोक कुमार ने तीन व्यक्तियों द्वारा एक आटोरिक्शा चालक को लूटते हुए देखा। अपने दो अस्त्र साथियों को सावधान करते हुए, वह उन पर झपट पड़े और उनमें से दो डाकुओं बाबू उर्फ सुमित और सुनील उर्फ सोनू को अपने साथियों की सहायता से पकड़ लिया। तथापि, तीसरा बचकर भागने में सफल रहा और एक स्कूल की ओर दौड़ा। वह आठ फुट ऊंची दीवार को फांद कर दूसरी ओर सड़क पर कूद पड़ा। कांस्टेबल अशोक कुमार, जो कि उसका पीछा कर रहे थे, ने उसका पीछा करना जारी रखा और उन्हें रीढ़ की हड्डी में गम्भीर चोटें आई। चोटों की पीड़ा के बावजूद, कांस्टेबल अशोक कुमार ने उस डाकू को तब तक जकड़े रखा जब तक कि उनके साथी उनकी सहायता के लिये नहीं पहुंच गये। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा के दौरान 31-1-99 को कांस्टेबल अशोक कुमार ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री अशोक कुमार कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 जनवरी 1999 से दिया जायेगा।

अजय मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 103-प्रेज 99.—राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जगदीश प्रसाद,
कांस्टेबल (अब हैड कांस्टेबल)
दिल्ली पुलिस

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

15 नवम्बर, 1998 को चार डाकुओं ने पारस मिल्क प्रोडक्टस, रणजीत नगर से मार्गरक्षी स्टाफ को बन्दूकों से घायल करके 19 लाख रुपये लूट लिये और एक वाहन में बचकर भाग निकले। घटना का शोरगुल सुनकर, कांस्टेबल जगदीश प्रसाद ने एक स्कूटर पर डाकुओं के वाहन का पीछा किया और उन्हें डी० टी० सी० कालोनी की ओर मुड़ने के लिये बाध्य किया। अनुरोध करने पर डी० टी० सी० के एक ड्राईवर ने सड़क के प्रवेश मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। डाकुओं को मजबूरी में वाहन को छोड़कर पैदल भागना पड़ा। क्रिकेट खेल रहे लड़कों का एक दल भी उनका पीछा करने में कांस्टेबल प्रसाद के साथ हो लिया। उन्हें दूर रखने के लिये, डाकुओं ने उन पर गोली चलाई जिससे उनमें से एक आहत हो गया। तत्पश्चात् उन्होंने टाटा सूमो छीन ली। कांस्टेबल प्रसाद ने दृढ़ निश्चय के साथ उनका पीछा करना जारी रखा। रणजीत नगर में कांस्टेबल प्रसाद का शोर सुनकर वहां के निवासियों ने उक्त टाटा सूमो पर पत्थर फैंके। डाकू इसे छोड़कर भाग लिये। समीप पहुंचने पर कांस्टेबल प्रसाद ने अशोक कुमार नामक एक डाकू को पकड़ लिया। दूसरा उस मुठभेड़ में मारा गया और अन्य दो बचकर भाग निकले। 13,69,415 रुपये बरामद किये गये।

इस मुठभेड़ में श्री जगदीश प्रसाद कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस, एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 नवम्बर, 1998 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 104–प्रेज 99.—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और रैंक

श्री दीना नाथ यादव,
कांस्टेबल,
गोरखपुर

श्री ए० के० राय,
कांस्टेबल,
गोरखपुर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

22 फरवरी, 1998 को कुसुमही बाजार में बैंक सुरक्षा ड्यूटी के दौरान सर्वश्री दीना नाथ यादव और अश्वनी कुमार राय, कांस्टेबल ने पड़ौस में बम विस्फोट और गोलियों की आवाज सुनी। वे तुरन्त घटनास्थल की तरफ भागे और वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि लोक सभा चुनाव के लिये अपने साथियों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता पर चार व्यक्ति हमला कर रहे हैं। पुलिस कार्मिकों ने अपराधियों को ललकारा। अपराधियों ने पुलिस पर गोलीबारी की और उन पर बम फैंके। अपराधियों की गोलीबारी से एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता और दो अन्य व्यक्ति जख्मी हो गए। दोनों पुलिस कार्मिकों ने अपराधियों को उलझाये रखा और दो अपराधियों को मार गिराया और अन्य भागने में कामयाब हो गये। तलाशी लेने पर मुठभेड़ के स्थान से दो कट्टे, .12 बोर कारतूस और इस्तेमाल किए हुए बमों के अवशेषों सहित एक हीरो होन्डा मोटर साइकिल बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री डी० एन० यादव और ए० के० राय, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 फरवरी, 1998 से दिया जायेगा।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 105 प्रेज/99.—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारियों का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री बी० मालाकर,
हवलदार,

श्री आर० चौधरी,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

15/16 अप्रैल, की रात को हवलदार मालाकर और कांस्टेबल चौधरी को अन्य दो कांस्टेबलों के साथ इन्टर सिटी एक्सप्रैस जो 2.16 पूर्वाह्न को बरौनी जंक्शन से चली, में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया था। यह गाड़ी 3.15 बजे पूर्वाह्न को रैड सिगनल होने पर रामपुर–डुमरा आउटर सिगनल पर रुकी। श्री मालाकर और कांस्टेबल चौधरी तुरन्त नीचे उतरे और गाड़ी के इंजन की तरफ बढ़े। टार्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि गाड़ी के वेक्यूम को काट दिया गया है। ड्राइवर के साथ बातचीत करने के बाद वे और आगे बढ़े और देखा कि रेलगाड़ी की पूर्वी दिशा से पत्थर फैंके जा रहे हैं। श्री मालाकर, कांस्टेबल चौधरी और ड्राइवर ने पुनः पाया कि रेलगाड़ी का दूसरा वेक्यूम भी कार्य नहीं कर रहा है। कुछ गड़बड़ी का सन्देह होने पर उन्होंने रेलगाड़ी की दूसरी तरफ जाने का निर्णय लिया। जब श्री मालाकर रेलगाड़ी के दूसरी तरफ से नीचे उत्तर रहे थे तो उनकी दाहिनी जांघ पर अचानक गोली लगी जिससे वे गम्भीर रुप से जख्मी हो गए। श्री चौधरी ने स्थिति की गम्भीरता को भांपते हुए तुरन्त जवाबी गोलीबारी की। उन्होंने श्री मालाकर की स्टेनगन ली और उनको रेलगाड़ी के डिब्बे के अन्दर ले आए। इस समय, अपराधियों ने श्री चौधरी पर निशाना साधा, लेकिन इन्होंने तुरन्त गोलियों का जवाब दिया और अन्ततः अपराधियों को भागने के लिये मजबूर कर दिया। इस प्रकार से इन्होंने यात्रियों के जान-माल की रक्षा की। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने एक अपराधी अजीज महतो को गिरफ्तार किया और उसके निवास से कुछ सिगनल तारें बरामद की।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री (दिवंगत) मालाकर, हवलदार और आर० चौधरी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 अप्रैल, 1997 से दिया जायेगा।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 106-प्रेज/99—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मोहम्मद कस्मुद्दीन अन्सारी,
कांस्टेबल,
बिहार।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

3-10-96 को देवकुण्ड थाने से मिली इस गुप्त वायरलैस सूचना कि गांव धरना में अति आधुनिक शस्त्रों से लैस कुछ आंतकवादी समाज विरोधी गतिविधियां चलाने के उद्देश्य से एकत्र हो रहे हैं, पर कार्रवाई करते हुए, नगेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में एक पुलिस दल गांव धरना पहुंचा। इस दल को आगे तीन पार्टियों में बांट दिया गया? सभी पार्टियों ने उग्रवादियों पर चारों ओर से हमला किया। उग्रवादियों ने भी पुलिस दल पर गोलियां चलाई। पुलिस दल ने पूरे गांव को घेर लिया था तथा आंतकवादियों से उनके समक्ष समर्पण करने की घोषणा की गई थी। परन्तु इस घोषणा का जवाब लगातार गोली बारी करके दिया गया। गोली बारी में कांस्टेबल अन्सारी की बाई टांग में भारी घाव हो गये। पुलिस दल और ग्रामीणों को उत्पन्न खतरे को भांपते हुए, पुलिस दल ने आत्मसुरक्षा में गोली बारी करने की दृष्टि से मोर्चा संभाल लिया। घायल होने के बावजूद श्री अन्सारी ने मोर्चा संभाल लिया और उग्रवादियों पर गोलियां बरसानी शुरु कर दीं। उन्होंने उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिये भी कहा। परन्तु उग्रवादियों ने पुलिस दल पर निरन्तर गोली-बारी करना जारी रखा। श्री अन्सारी की गोली बारी के कारण, एक उग्रवादी मारा गया। चूंकि पुलिस की गोली-बारी से कुछ उग्रवादी घायल हो चुके थे, अतः वे घने जंगलों इत्यादि का लाभ उठा कर घटनास्थल से भाग खड़े हुए। घटनास्थल से मैगजीन समेत .315 बोर की एक राइफल के अलावा प्रत्येक .315 बोर के 5 सक्रिय कारतूस तथा 17 राउण्ड सक्रिय कारतूस समेत कारतूस की एक पेटी तथा एक डायरी बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में, मोहम्मद कस्मुद्दीन अन्सारी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 03-10-96 से दिया जायेगा।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 107-प्रेज/99—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों के नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री एस० पी० शर्मा, पुलिस पदक
सहायक कमांडेंट,
33वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

(दिवंगत) श्री जरनैल सिंह, पुलिस पदक
कांस्टेबल,
33वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री तेजराम उके जे०, राष्ट्रपति का पुलिस पदक
कांस्टेबल,
33वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

(दिवंगत) श्री एस० नन्दी, पुलिस पदक
उप निरीक्षक, 33वी बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 14-3-99 को उप निरीक्षक सदन नन्दी, थाना प्रभारी, थाना नूतन बाजार (दक्षिण जिला, त्रिपुरा) को एन० एल० एफ० टी० के ग्रुप कमांडर सरल पाडा जमातिया के नेतृत्व में 6/7 एन० एल० एफ० टी० उग्रवादियों के एक दल की रंजन वाड़ी में हरीश रियांग नामक एक व्यक्ति के घर में मौजूदगी के बारे में विश्वसनीय सूचना मिली। उन्होंने तुरन्त एस० डी० पी० ओ० अमरपुर को इसकी सूचना दी जिन्होंने इस बारे में आगे श्री सोम प्रकाश शर्मा, कमांडिंग आफीसर, 33वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को बताकर इस गिरोह का मुकाबला करने के लिए एक प्लाटून उपलब्ध कराने के लिए कहा। श्री शर्मा ने न केवल बल उपलब्ध कराए बल्कि उन्होंने इस अभियान का नेतृत्व स्वयं करने की पेशकश भी की। वह एस० डी० पी० ओ० और सी० आई०, अमरपुर तथा थाना प्रभारी, थाना नूतन बाजार और प्लाटून सहित उस स्थान के लिए रवाना हो गए। बचकर भाग निकलने के सभी रास्तों को कवर करने के लिए उन पर दो टुकड़ियां तैनात करने के बाद उन्होंने थाना प्रभारी और एक टुकड़ी को साथ लेकर घरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। श्री हरीश रियांग के घर में करीब 2030 बजे प्रवेश करने से पूर्व श्री शर्मा ने श्री उके को बाहर की ओर से शयन कक्ष को जाने वाले दरवाजे को कवर करने के लिए तैनात किया और उप-निरीक्षक श्री नन्दी और कांस्टेबल श्री जरनैल सिंह के साथ घर में घुस गए। उग्रवादी

सरल पाडा जमातिया को सिविल ड्रैस में कमरे में मौजूद देखकर उसे तुरन्त पहचाना न जा सका तथा आस-पास के निर्दोष लोगों को घायल होने से बचाने के उद्देश्य से इस दल ने गोली चलाने में संयम बरता और उसे जीवित पकड़ने की कोशिश में एकदम झपट पड़े। इस हाथापाई के दौरान उग्रवादी जमातिया ने एक उच्च शक्तिशाली ग्रेनेड बाहर निकाला और पुलिस पार्टी पर फेंकने का प्रयास किया। तथापि, वह गोला उसके हाथ में ही फट गया जिससे श्री शर्मा और उप-निरीक्षक एस० नन्दी की तुरन्त वहीं मौत हो गई तथा कान्स्टेबल जरनैल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्होंने बाद में अस्पताल ले जाते समय घावों के कारण दम तोड़ दिया। इस विस्फोट में उस उग्रवादी की बाईं हथेली भी उड़ गई लेकिन घावों के बावजूद उसने कमरे से बच कर भाग निकलने का प्रयास किया। श्री तेज राम उके, कान्स्टेबल विस्फोट की आवाज और घायलों की चीख पुकार सुनकर घटनास्थल की ओर दौड़े और अपनी कारबाईन से 6 राउण्ड गोली चला कर उस उग्रवादी को मार गिराया। श्री उके द्वारा की गई गोलीबारी में दूसरे संदिग्ध उग्रवादी धीराम रियांग को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके तुरन्त बाद श्री उके ने करीब की केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चौकी को अपने वायरलैस पर इस घटना के बारे में सूचित किया। इसके बाद उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर एक 9 मि० मी० की कारबाईन, 3 मैगजीनें 164 राउण्ड गोला-बारूद, 10,900/- रु० (भारतीय मुद्रा) नकद, 1422 टका (बंगला देशी मुद्रा) और अभिशंसी दस्तावेज और चित्र बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री एस० पी० शर्मा, सहायक कमांडेंट, (दिवंगत) श्री जनरैल सिंह, कांस्टेबल, श्री तेजराम उके जे०, कांस्टेबल और श्री एस० नन्दी, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14-3-99 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 108-प्रेज/99—राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री मनोज कुमार सैकिया,
कांस्टेबल,
गांव-सिमालुगुड़ी,
जिला-डिब्रूगढ़ (असम)।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

13-12-1998 को करीब 1500 बजे उल्फा का एक कार्यकर्ता, नामतः शुभा गोगोई उर्फ मिलन गोगोई नाका ड्यूटी के दौरान पकड़ा गया तथा उसके पास से उल्फा के एक अन्य कट्टर कार्यकर्ता को संबोधित पत्र बरामद हुआ। तुरन्त एक ऑपरेशन की योजना तैयार की गई। अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), तिनसुखिया के नेतृत्व में एक पुलिस दल जिसमें कांस्टेबल सैकिया भी शामिल थे, उक्त गांव की ओर रवाना हो गया। जिस समय यह पुलिस दल उस गांव की ओर जा रहा था तो संदिग्ध उल्फा कार्यकर्ताओं के एक दल, जोकि विपरीत दिशा से आ रहा था, ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। कांस्टेबल मनोज कुमार सैकिया, और पुलिस दल ने उग्रवादियों पर जवाबी गोलीबारी की परन्तु इस गोलीबारी में कांस्टेबल सैकिया घायल हो गए।

गोलियों से घायल होने के बावजूद श्री सैकिया उग्रवादियों पर गोलीबारी करते रहे ताकि अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस दल की रक्षा की जा सके। श्री सैकिया ने अपने सर्विस हथियार से 9 राउण्ड गोलियां चलाईं तथा अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस दल की रक्षा करने में सफल हो गए। उग्रवादी पुलिस दल की ओर आगे नहीं बढ़ सके और उन्हें घायल हो कर उल्फा से संबंधित दस्तावेज वहां छोड़ कर भागना पड़ा। बाद में श्री सैकिया ने घावों के कारण दम तोड़ दिया।

इस प्रकार श्री सैकिया ने बल की उच्चतम परम्पराओं को बनाए रखते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री मनोज कुमार सैकिया, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13-12-1998 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 109-प्रेज/99—राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री हरे कृष्ण नाथ,
पुलिस उप-अधीक्षक,
डिब्रूगढ़।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

4 अगस्त, 1998 को एक गुप्त सूचना कि उल्फा उग्रवादियों की एक टोली ने गाँव मारधोरा बोंगाली गांव में शरण ले रखी है, पर कार्रवाई करते हुए, श्री नाथ, पुलिस उप-अधीक्षक कुछ अन्य कार्मिकों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक प्लाटून के साथ उस गांव में गए, और उग्रवादियों को तड़के ही खदेड़ने के लिए तलाशी ली और छापा मारा। प्रातः

लगभग 5 बजे उग्रवादियों, जो एक मकान के अन्दर छिपे हुए थे, ने आगे बढ़ रही पुलिस पार्टी पर गोलाबारी की, जिससे उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे श्री नाथ के बांयें हाथ और कुल्हे पर गोली लगी। पुलिस पार्टी ने मोर्चा सम्भाला और गोलीबारी का जवाब दिया। उग्रवादियों ने रक्षात्मक मोर्चा सम्भाल लिया और पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायीं। तब श्री नाथ तत्काल उस कमरे के अन्दर घुस गए और उग्रवादियों पर गोलियां चलायीं जिससे एक उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारा गया और दूसरा गम्भीर रूप से जख्मी हो गया।

बाद में, मृतक उग्रवादी की शिनाख्त देहिंग शाखा परिषद् के कट्टर आतंकवादी कुमुद हजारिका उर्फ संग्रामज्योति हजारिका और दूसरे की शिनाख्त, तुलन गोगोई उर्फ जिन्तुब रुआ उल्फा उग्रवादियों की 28वीं बटालियन के स्वयंभू सैकिन्ड लेफ्टिनेंट के रूप में की गई। एक मैगजीन के साथ 9 एम० एम० पिस्तौल और 9 एम० एम० के सक्रिय गोलाबारुद के 31 राऊन्ड 96,500 रु० नगद और कुछ अभिशासी दस्तावेज बरामद हुए जिनसे उल्फा संगठन की गतिविधियों का पता लगता है।

इस मुठभेड़ में, श्री एच० के० नाथ, पुलिस उप-अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 अगस्त, 1998 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 110-प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री एच० एस० राव,
हैड-कांस्टेबल,
58 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

24 दिसम्बर, 1997 को, सीमा सुरक्षा बल की 58वीं बटालियन के कमांडेंट को, सूचना मिली कि राजौरी में गांव दीवान की तरफ सीमा सुरक्षा बल द्वारा डाले गए घेरे से कुछ उग्रवादी भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने बचकर भाग निकलने के विभिन्न रास्तों को कवर करने के लिए तुरन्त तीन पार्टियां भेजी। जिस पार्टी में एच० एस० राव, कांस्टेबल थे, उस पार्टी को उग्रवादियों के गांव में पहुंचने से पहले उन्हें अलग-थलग करना था और तदनुसार जब उनकी पार्टी सम्पर्क साधने की कोशिश कर रही थी तब उस पर बचकर भागते हुए विद्रोही ग्रुप द्वारा गोलीबारी की गई। श्री राव और दो अन्य कांस्टेबल मुख्य पार्टी से आगे चल रहे थे। विद्रोहियों ने, जो लगभग गांव पहुंच चुके थे, पुलिसमैन ग्रुप को देखते ही उन पर गोलियां चलाई। गोलीबारी की पहली ही बौछार में एक गोली श्री राव की छाती में लगी। जख्मी होने के बावजूद, श्री राव ने मोर्चा सम्भाला और अपने दो कार्मिकों को दूसरी तरफ के मोर्चे की ओर खींचा और जवाबी गोलीबारी की। श्री राव ने इच्छा शक्ति बनाए रखी और मुख्य पार्टी के घटना स्थल पर पहुंचने तक, विद्रोहियों पर गोलीबारी करते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में सफल रहे। जब तक मुख्य पार्टी घटनास्थल पर पहुंची, तब तक एक विद्रोही, जिसकी शिनाख्त बाद में, अब्बू बाशेर, लस्कर-ए-तोईबा के एरिया कमांडेंट और अफगान राष्ट्रिक के रूप में की गई, मारा जा चुका था और शेष विद्रोही भाग चुके थे। बाद में श्री राव की जख्मों के कारण मृत्यु हो गई।

घटनास्थल से एक ए० के०-47 राईफल, एक चीन निर्मित पिस्तौल, एक हथगोला और मैगजीन और गोलाबारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री एच० एस० राव, हैड-कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 दिसम्बर 1997 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 111—प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री प्रहलाद सिंह,
हैड-कांस्टेबल
6ठी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।
श्री पी० पी० नौटियाल,
सहायक कमांडेंट
श्री ओमबीर सिंह,
कांस्टेबल,
6ठी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

20 फरवरी 1998 को गांव बनगाम में विद्रोहियों के उपस्थित होने के बारे में एक विशिष्ट सूचना मिली। घेराबन्दी पूरा करने के लिए उस गांव को दो पार्टियां भेजी गई। द्वितीय पार्टी के प्रभारी श्री पी० पी० नौटियाल ने एक छोटे ग्रुप के साथ मकान की तलाशी का काम शुरु किया। श्री

नौटियाल के ग्रुप ने सिविलियनों की मदद से एक दुमंजिले मकान के इर्द-गिर्द मोर्चा सम्भाला। सिविलियनों से दूसरी मंजिल की तलाशी लेने के लिए कहा गया जिसमें घास-फूस और चारा भरा हुआ था। एक सिविलियन अटारी पर चढ़ा तो, वहां छिपे उग्रवादियों ने गोलियां चलायीं। एक सिविलियन को गोली लगी जिसकी बाद में जख्मों के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद कुमुक मंगायी गयी घेरा डालने वाले दल के सदस्य श्री प्रहलाद सिंह हैड-कांस्टेबल, उस समय गोली लगने से बाल-बाल बच गए जब उग्रवादियों ने गोली-बारी शुरु की। श्री सिंह ने पहली मंजिल पर मोर्चा सम्भाला और ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए और अटारी के बाहर चौकी पर मोर्चा सम्भाल लिया जबकि श्री सिंह को पहली मंजिल पर मोर्चा सम्भाले हुए पुलिस पार्टी द्वारा कवरिंग फायर दिया गया था। घेरा डालने वाली मुख्य पार्टी ने मकान के इर्द-गिर्द घेरे को और मजबूत कर दिया। उग्रवादी अटारी से लगातार गोलीबारी करते रहे और पुलिस पर हथगोले भी फैंकते रहे ताकि और कोई व्यक्ति मकान के अन्दर न घुस पाए दोनों तरफ से हुई इस गोलीबारी में एक हथगोला उस चौकी के नजदीक गिरा जहां पर श्री सिंह ने मोर्चा सम्भाला हुआ था और उग्रवादियों पर गोलियां चला रहे थे। यह हथगोला फट गया, जिससे श्री सिंह जख्मी हो गए। और जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उग्रवादी लगातार गोलीबारी करते रहे और पहली मंजिल पर हथगोले फेंकते रहे जिससे पहली मंजिल पर मोर्चा सम्भाले हुए कार्मिकों को नीचे उतरना पड़ा, उग्रवादी खिड़की से कूदकर भागने में कामयाब हो गए। श्री नौटियाल, सहायक कमांडेंट ने यह देखने पर कि उग्रवादी तीन अलग-अलग मकानों में फंस गए हैं, अपने कार्मिकों को युक्तिपूर्ण तरीके से तैनात किया। श्री नौटियाल ने अपनी एल०एम० जी० और ग्रेनेड के साथ मोर्चा सम्भाला और उन तीन मकानों में हथगोले फैंकने में कामयात हो गए जिनमें उग्रवादियों ने शरण ले रखी थी। श्री ओमबीर सिंह, कांस्टेबल जो गोलियां चला रहे थे, की दाहिनी जांघ पर उग्रवादियों की गोलियां लगी। जख्मी होने के बावजूद वे गोलीबारी करते रहे और उनके द्वारा की जा रही कवरिंग गोलीबारी से मकान में हथगोले फैंकने में मदद मिली। तीनों मकानों में आग लग गई, क्योंकि हथगोलों के विस्फोट से इन मकानों में रखे गए घास के ढेर में आग लग गई। इस गोलीबारी में तीन उग्रवादी मारे गए। मृतक उग्रवादियों की शिनाख्त बाद में, एच० एम० गुट के फकीरा गुज्जर, तजाकिस्तान के हिकमतयार और यमन के उमरगुल के रुप में की गई। 3 ए० के० राइफलें 2 पिस्तौल और मेगजीन के साथ-साथ हथगोले और गोलाबारूद, जली हुई अवस्था में बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, (विवंगत) श्री प्रहलाद सिंह, हैड-कांस्टेबल सर्व/श्री पी० पी० नौटियाल, सहायक कमांडेंट, ओमबीर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फल-स्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 फरवरी, 1998 से दिया जाएगा।

बरुण मिश्रा,
राष्ट्रपति के उप सचिव

सं० 112-प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और रैंक

(विवंगत)] श्री महावीर प्रसाद,
सूबेदार,
4थी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री आर० एल० शर्मा,
कमांडेंट,
4थी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री मुकेश कुमार,
कांस्टेबल,
4थी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

श्री महावीर प्रसाद, जो एफ० कम्पनी की कमान कर रहे थे, एक विशिष्ट सूचना मिलने पर 27/28 जुलाई, 1998 को अपने कार्मिकों को ले गए और उस मकान को घेर लिया, जिसमें एक पाकिस्तानी उग्रवादी ने शरण ले रखी थी। जैसे ही महावीर प्रसाद ने घेरा पूरा किया एक छोटी क्यू०आर०टी० बिना किसी की नजर में आए एक लम्बे चक्करदार धान के खेत में से उस मकान की विपरीत दिशा में जाने में कामयाब हो गई। श्री प्रसाद मकान के पास पहुंचे, और खिड़की से मकान के अन्दर एक हथगोला फैंका। उग्रवादी दूसरे कमरे में था और उसने खिड़की से ग्रुप पर जबावी गोलीबारी की। उसकी एक गोली महावीर प्रसाद को लगी जिससे वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए।

इस मुठभेड़ के बारे में सुनने पर, श्री शर्मा कमांडेंट अपने द्वितीय प्रभारी श्री चौधरी के साथ तुरन्त घटनास्थल पर गए। उग्रवादी मकान के अन्दर से घेरा डालने वाली पार्टी पर खिड़की से राइफल ग्रेनेड दाग रहा था। श्री शर्मा एक बी० पी० वाहन ले आए और श्री प्रसाद को वहां से हटा लिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही श्री प्रसाद की मृत्यु हो गई। उसके बाद श्री शर्मा ने वाहन को हटाया और अन्दर से हो रही भारी गोलीबारी के

बावजूद मकान की दीवार के बिल्कुल पास आ गए। श्री शर्मा ने मकान में दो तरफ से हथगोले फैंके। उसके बाद बी० पी० वाहनों की छत पर एक सीढ़ी लगाकर, श्री शर्मा ने कांस्टेबल मुकेश कुमार और खजान सिंह को छत पर भेजा और चिमनी से दो हथगोले नीचे फैंके। उसके बाद श्री शर्मा के निर्देश पर दो कांस्टेबल रेंग कर बी० पी० वाहन की खिड़की तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इस बीच वह उग्रवादी जो घर के अन्दर था, खिड़की के नजदीक पहुंच गया और उसने एक हथगोला फैंका। हथगोला देखने पर श्री शर्मा ने अपने आपको हथगोले की दिशा से हटा लिया और इसके साथ ही इससे पहले कि हथगोला फटता अपने साथी दो कांस्टेबलों को भी सुरक्षित दिशा में खींच लिया। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा और इसी बीच उग्रवादी खिड़की से बाहर कूदा और धान के खेतों में भाग गया लेकिन श्री मुकेश कुमार, जिन्होंने पेड़ के पीछे मोर्चा सम्भाल रखा था, उसे भागते हुए देख लिया और मार गिराने में सफल हो गए। मृतक उग्रवादी की शिनाख्त बाद में एल० ई० टी० से संबंधित एक पाकिस्तानी उग्रवादी फैजुल्लाह उर्फ तारीक भाई के रूप में की गई।

इस मकान से, एक ए० के० राइफल, 5 मैगजीन, 70 राऊन्ड, एक हथगोला और ग्रेनेड फायरिंग एटेचमेंट के साथ अनेक दस्तावेज और 20,000 रुपये की भारतीय मुद्रा तथा एक 9 एम० एम० पिस्तौल बरामद की गयी।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री महावीर प्रसाद, सूबेदार, सर्व/श्री आर० एल० शर्मा, कमांडेंट, मुकेश कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम के 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 जुलाई 1998 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 113 प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और रैंक :—

(दिवंगत) श्री विजय अहुजा,
सहायक कमांडेंट,
52वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री सी० एच० सेतुराम,
सहायक कमांडेंट,
129वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री बिशन दास,
लांस नायक,
129वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री संतोष कुमार,
कांस्टेबल,
129वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किए गए

8 जुलाई, 1998 को सूचना प्राप्त हुई कि विद्रोहियों का एक दल वुराम आरक्षित वन में छिपा हुआ है। सीमा सुरक्षा बल की 52वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री सी० एच० सेतुराम को दो कम्पनियों के साथ वन की बाह्यीय सीमा पर रुकावट खड़ी करने के लिए तैनात किया गया ताकि कोई ग्रुप बच कर वन से निकल नहीं पाए। दूसरे दल द्वारा वन की दूसरी ओर से हल्ला बोलना था ताकि छिपे हुए विद्रोहियों को रुकावट की ओर भाग कर शरण लेनी पड़े और वहां उन्हें बीच में ही रोका जा सके। श्री सेतुराम जिन्होंने अभी रुकावटें खड़ी करने का कार्य पूरा ही किया था और दूसरी ओर से वन में से आगे बढ़ने वाले दल ने अपना अभियान अभी शुरू ही किया था कि जंगल में से विद्रोही दल द्वारा गोली चलाई गई। कुमुक को आगे बढ़ाया गया और यह पुष्टि होने के पश्चात् कि रुकावटें खड़ी कर दी गई है जंगल की तलाशी का अभियान शुरू किया गया। 129वीं बटालियन के श्री बिशन दास, लांस नायक और श्री संतोष कुमार कांस्टेबल, जो वन के अन्दर से आगे बढ़ने वाले दल में थे, का सबसे पहले विद्रोहियों के साथ सामना हुआ जिन्होंने आगे बढ़ रहे तलाशी दल को रोकने के लिए लेटकर पोजिशन ली हुई थी। जैसे ही विद्रोही दल द्वारा गोलीबारी आरम्भ की गई, श्री बिशन दास और संतोष कुमार ने उनके सामने पड़ रहे पेड़ों के पीछे पोजिशन ले ली और एक विद्रोही को मार डाला, बाद में जिसकी पहचान पाकिस्तानी के रूप में की गई।

श्री सेतुराम, जो विद्रोही की गोलीबारी का कारगर ढंग से मुकाबला कर रहा था और साथ ही श्री बिशन दास तथा श्री संतोष कुमार की गोलीबारी को भी नियंत्रित कर रहा था, ने घेराबन्दी को तोड़ने की कोशिश कर रहे तीन उग्रवादियों को देखा। जब उग्रवादियों ने यह महसूस कर लिया कि वे मारे जाएंगे तो उन्होंने अपने हथियार फैंक दिए और तीनों को पकड़ लिया गया। बाद में की गई पूछताछ से इस विद्रोही दल द्वारा अपनाए गए मार्ग के बारे में सूचना प्राप्त हुई। इस दौरान, अन्धेरा छा गया लेकिन दल ने अपनी पोजीशन बनाए रखी और घेराबन्दी को तोड़ने आने वाले विद्रोहियों का इन्तजार करते रहे तभी विद्रोहियों द्वारा फैंका गया एक ग्रेनेड उस जगह पर आकर गिरा जहां सर्व/श्री सेतुराम, बिशन दास और सन्तोष कुमार ने पोजिशन ली हुई थी। तीनों किरचों से जख्मी हो गए। लांस नायक और कांस्टेबल दोनों को वहां से निकाल कर सेना अस्पताल ले

जाया गया लेकिन श्री सेतुराम सहायक कमांडेंट ने जाने से इंकार कर दिया और टुकड़ियों का नेतृत्व करते रहे। यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई भी दल पीछे हटा है या नहीं घेराबन्दी दल सारी रात उसी जगह जमा रहा और रुक-रुक कर दोनों ओर से गोलीबारी होती रही। इसी बीच मुठभेड़ की बात सुनकर कुपवाड़ा के ए सी/जे एस ओ (जी) विजय अहुजा, जिन्होंने जंगल में छिपे हुए उग्रवादियों का संदेश बीच में सुन लिया था, ने घटनास्थल पर जाने का निर्णय लिया और अगली सुबह 5.00 बजे वहां पहुंच गए। पौ फटते श्री विजय अहुजा, श्री सेतुराम उसके दल में शामिल हो गए। एक छोटे टीले के समीप श्री अहुजा आगे देखने के लिए थोड़ा ऊपर उठे तभी एक विद्रोही, जो घनी झाड़ियों के बीच छिपा हुआ था अचानक कूदा और गोलियां चला दी। गोलियां श्री अहुजा के पेट में आकर लगी और वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए। उसके गोली चलाने से विद्रोही का पता चल गया और अग्रिम दल द्वारा की गई गोलियों की बौछार में वह वहीं मारा गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही श्री आहुजा ने दम तोड़ दिया। इसी दौरान, गोलीबारी रुक गई और क्षेत्र की तलाशी लेने पर 6 ए० के०-47 राइफलें, 2 पिस्तौल, 8 राइफल ग्रेनड, 7 हैंड ग्रेनेड, एक आइकोम वायरलैस सेट एक केनवुड वायरलैस सेट, एक राइफल सायलेन्सर और मैगजीन तथा भारी मात्रा में गोलाबारूद बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री विजय अहुजा, सहायक कमांडेंट, सर्व/श्री सी० एच० सेतुराम, सहायक कमांडेंट, बिशन दास, लांस नायक और सन्तोष कुमार कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 जुलाई, 1998 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 114-प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और रैंक

श्री आर० एल० शर्मा,
कमांडेंट (वीरता के लिए पुलिस पदक)

श्री के० एस० राठौर,
उप-कमांडेंट (वीरता के लिए पुलिस पदक)

श्री बी० पी० पुरोहित,
द्वितीय प्रभारी
82 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

(दिवंगत) श्री शंगारा सिंह,
उप-निरीक्षक (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)

श्री मुकेश कुमार,
कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

श्री एम० वाई० थामस,
कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

श्री आर०पी० डिमरी,
कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किए गए

18 जुलाई, 1998 को श्री आर० एल० शर्मा, कमांडेंट को गांव डंगारपोरा में उग्रवादियों की मौजूदगी की विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। तुरन्त एक दल गांव डंगारपोरा के लिए रवाना किया गया। तथापि, तीन विद्रोहियों, जोकि गांव के एक मकान में छिपे थे, ने सीमा सुरक्षा बल को देखते ही सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी पर गोलियां चलाई और गांव की बाहरी सीमा पर धान के खेतों में भागे। यह जान लेने के पश्चात् कि उग्रवादी धान के खेतों में दाखिल हो चुके हैं और खड़ी फ़सल के बीच छिपे हुए हैं, श्री शर्मा ने अपने दल को तीन भागों में विभाजित किया और क्षेत्र को तीन विभिन्न दिशाओं से घेर लिया। ये ग्रुप जिन्हें उग्रवादियों के छिपने के निश्चित स्थान का कोई पता नहीं था पूर्ण रूप से खुले में थे तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए पेड़ों की कोई आड़ भी नहीं थी उनके छिपने के स्थान का अनुमान लगाने के पश्चात्, श्री शर्मा ने ग्रेनेड दागने का निदेश दिया लेकिन वह कारगर सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि उग्रवादी घेराबन्दी पार्टी पर गोलाबारी करते रहे। श्री राठौर, उप-कमांडेंट जोकि दूसरी पार्टी की कमान सम्भाले हुए थे, ने उग्रवादियों को ललकारा और तुरन्त उन पर गोलीबारी की। उग्रवादियों ने इन पर भारी गोलीबारी की और बाएं बाजू में गोली लगने से घायल हो गए। श्री डिमरी, जो उनके साथ थे, के भी दाएं हाथ में गोली लगी। श्री डिमरी और श्री राठौर ने लेट कर पोजिशन ली और उग्रवादियों की ओर बढ़ने लगे। जब श्री शंगारा सिंह, उप-निरीक्षक ने यह देखा कि श्री राठौर घायल हो गए हैं तो उन्होंने इससे पहले कि उग्रवादियों की गोलियों की दूसरी बौछार उन तक पहुंचती, वे रेंग कर उन तक पहुंच गए। श्री सिंह तुरंत श्री राठौर के सामने आ गए और गोलियों की बौछार को अपने ऊपर ले लिया और उप-कमांटेंट को बचा लिया और इस प्रयास में अपना जीवन बलिदान कर दिया। जिस समय श्री सिंह, घायल उप कमांटेंट के सामने कूद कर आ रहे थे, उसी समय उनके द्वारा चलाई गई गोलियां एक उग्रवादी को लगीं और वह मारा गया। इसी दौरान श्री थामस कांस्टेबल, जो उप कमांडेंट के पीछे थे, को भी एक गोली लगी लेकिन सौभाग्य से वह बच गए। श्री शर्मा और श्री बी० पी० पुरोहित, द्वितीय प्रभारी, 82 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, ग्रेनेड दागते हुए, अन्य दो दिशाओं से आगे बढ़े और अन्य दो उग्रवादियों को मारने

में सफल रहे । यह मुठभेड़ तीन घण्टे से अधिक समय तक चली । मारे गए तीन उग्रवादियों की पहचान बाद में मेहराजुद्दीन मलिक, शौकत अहमद और सयैद सारफ़ोयाज गिलानी के रूप में की गई । धान के खेतों से एक ए० के०–47, 1 ए०के०–56 राइफ़ल और तीन हैंड ग्रेनेड सहित 9 एम एम की एक पिस्तौल बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री आर० एल० शर्मा, कमांडेंट, के० एस० राठौर, उप–कमांडेंट, वी० पी० पुरोहित, द्वितीय प्रभारी, (दिवंगत) श्री शंगारा सिंह, उप–निरीक्षक, मुकेश कुमार, कांस्टेबल, एम० वाई० थामस, कांस्टेबल और आर० पी० डिमरी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 जुलाई, 1998 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 115–प्रेज/99–राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :–

अधिकारियों के नाम और रैंक

श्री रघुवीर सिंह, (दिवंगत)
हैड–कांस्टेबल,
55वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री शोभनाथ प्रसाद, (दिवंगत)
कांस्टेबल,
55वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री के० जे० जाय,
कांस्टेबल/ड्राईवर,
55वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री जय भगवान,
नाई,
55वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किए गए

21–5–1997 को सीमा सुरक्षा बल की एक कॉनवॉई, जिसमें पांच गाडियां थी, प्रशासनिक कार्य से इम्फाल-पालेल रोड पर इम्फाल आई थी । मार्ग में यह बात ध्यान में आई कि एक कार्मिक साथ नहीं लाया गया और वह पीछे रह गया है । कॉनवॉई का नेतृत्व करने वाले अधिकारी ने वापिस जाने का निर्णय लिया और उन व्यक्ति को साथ लेने के बाद कॉनवॉई इम्फाल से 1700 बजे रवाना हुई । श्री जोशी, सहायक कमांडेंट जोकि कॉनवॉई का नेतृत्व कर रही जीप में थे, ने काकचिंग के समीप सड़क के आर-पार एक ट्रक देखा जिसका कुछ भाग सड़क में था । श्री जोशी ने कॉनवॉई को रोका और यह देखने के लिए नीचे उतरे कि यह ट्रक सड़क के आर-पार क्यों खड़ा है । सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर अधिकारी ने आगे बढ़ना जारी रखा । दुर्भाग्यवश, इम्फाल में विद्रोहियों की स्थानीय गतिविधियों से अनभिज्ञ, सहायक कमांडेंट कॉनवॉई को आगे बढ़ाते हुए घात लगाए गए स्थान में पहुंच गए । जैसे ही कॉनवॉई ने घात लगाए क्षेत्र में प्रवेश किया, उस पर गोलीबारी शुरू हो गई । कॉनवॉई का नेतृत्व कर रही जीप पर हमला हुआ तथा सहायक कमांडेंट और चालक मारे गए । वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया और वह उस खाई में जा गिरा जहां अन्तिम उग्रवादी घात लगा कर बैठा हुआ था । वाहन की पैट्रोल टंकी में गोलियां लगने से उसने आग पकड़ ली । सहायक कमांडेंट की जीप के पीछे जो 5 टन वाहन था उस पर भारी गोलीबारी की गई तथा ड्राईवर और वाहन में सवार कई अन्य कार्मिक घायल हो गए । जय भगवान नाई इस वाहन के पीछे से छलांग लगाने में सफल रहा और उसने खाई में शरण ले ली । कॉनवॉई में अंतिम वाहन टाटा–407 था जिसे कांस्टेबल जॉय चल रहा था । ड्राईवर के केबिन में बांई ओर हैड–कांस्टेबल था जिसने इस वाहन की साइड आपनिंग से अपनी कारबाईन से जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी । श्री जॉय के पास अपना कोई हथियार नहीं था और सौभाग्य से उसे कोई चोट नहीं आई । श्री रघुवीर सिंह, हैड-कांस्टेबल के गोली लगी और वह घटनास्थल पर ही मारा गया लेकिन श्री जाय ने अपना मानसिक सन्तुलन नहीं खोया और उसकी कारबाईन उठा ली । वह ड्राईवर केबिन और टाटा–407 की बाडी के बीच से पिछली ओर निकलने में सफल हो गया जहां से श्री शोभनाथ प्रसाद, कांस्टेबल अपनी एल०एम०जी० से घात-स्थल की ओर गोलीबारी कर रहा था । श्री प्रसाद गोलियों से शीघ्र ही घायल हो गए और घटनास्थल पर ही मारे गए । श्री जॉय ने कारबाईन से गोलीबारी की और शीघ्र ही अपनी मैगजीन खाली कर दी । जब इन्होंने देखा कि श्री शोभनाथ मारा गया है तो इन्होंने उसकी एल० एम० जी० उठा ली और गोलीबारी शुरू कर दी । एक राउन्ड एल० एम० जी० में आकर लगा और हथियार ने गोलीबारी करना बन्द कर दिया । कांस्टेबल जाय ने देखा कि कांस्टेबल यमुनप्पा घायल अवस्था में वाहन पड़ा है इन्होंने उस कांस्टेबल का एस० एल० आर० उठा लिया और घात लगाने वाले दल पर फिर गोलीबारी शुरू कर दी । इसी समय, जय भगवान नाई, जोकि अगले 5 टन वाहन से बच कर निकल गया था, रेंगता हुआ पीछे आया और टाटा–407 से गोलीबारी की आवाज सुनते ही उस पर चढ़ गया और एस० एल० आर० से गोलीबारी में कांस्टेबल जाय को सहायता की । उनके आस–पास कई मैगजीने पड़ी थी जिन्हें वह उठा-उठा कर श्री जॉय की एस० एल० आर० में भरता रहा । तीन मैगजीनों से गोलीबारी

करने के पश्चात् गोलाबारूद समाप्त हो गया। श्री जॉय ने तब जय भगवान, नाई से एल० एम०जी० से मैगजीन लाने के लिए कहा और वह इन्हें एस० एल० आर० में भरने में सफल हो गया। क्योंकि अन्य वाहनों से कोई गोलीबारी नहीं हो रही थी, कांस्टेबल जाय और जय भगवान नाई दोनों ने यमुनप्पा की सहायता की और वाहन से नीचे कूद कर खाई में छिप गए। उसके बाद ये कांस्टेबल यमुनप्पा को नाले से होकर घातस्थल से बाहर ले आने में सफल हो गए।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) रघुबीर सिंह, हैड–कांस्टेबल, (दिवंगत) शोभनाथ प्रसाद, कांस्टेबल, सर्व श्री के० जे० जाय, कांस्टेबल और श्री जय भगवान, नाई ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21 मई, 1997 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 116–प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री आर० एच० आर० नारनावारे,
उप–निरीक्षक,
96वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :—

गांव लारकोटी के एक असलम के घर में विद्रोहियों के एक दल द्वारा शरण लिए जाने के बारे में 24 दिसम्बर, 1997 को सूचना प्राप्त हुई। श्री आर०एच० नारनावारे के साथ ए० के० सिंह सहायक कमांडेंट की देखरेख में कमांडो प्लाटून को उस मकान को घेरने का कार्य सौंपा गया।

श्री नारनावारे उस मकान के समीप पहुंचे और इससे पहले कि विद्रोहियों को इस बात की जानकारी होती, असलम के मकान का घेरा डालने में सफल हो गए। जैसे ही घेराबंदी का काम पूरा हुआ विद्रोहियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी के आदान-प्रदान में घेरा डालने वाले दल की एक गोली एक विद्रोही को लगी जिसकी जख्मों के कारण मृत्यु हो गई। तथापि दो अन्य विद्रोही घेराबन्दी दल पर खिड़की से गोलीबारी करते रहे। श्री नारनावारे अपने साथियों को युक्तिपूर्ण तरीके से तब तक आगे बढ़ाते रहे जब तक कि वे मकान के समीप नहीं पहुंच गए। चूंकि मकान एक पहाड़ी की ढलान पर था इसलिए श्री नारनावारे सावधानी से जमीन पर लेटकर आगे बढ़े और उन्होंने सामने की ओर दो एल एम जी तैनात कर दी और वहां से भारी मात्रा में गोलीबारी करने का निदेश दिया। इसी बीच ये तथा दो अन्य कांस्टेबल मकान के पिछले हिस्से में पहुंच गए और मकान की छत पर चढ़ गए। चूंकि गोलीबारी सामने की ओर से हो रही थी इसलिए श्री नारनावारे और उनके दो साथियों को अपने ही कर्मियों द्वारा की जा रही गोलीबारी का शिकार होने का खतरा था। उन्होंने मकान के अन्दर चिमनी से दो ग्रेनेड फैंके। दोनों ग्रेनेड कमरे में जाकर फटे और दोनों विद्रोही, जोकि मकान के सामने की ओर से गोलीबारी कर रहे थे, मारे गए। जब गोलीबारी थम गई तो श्री नारनावारे ने देखा कि इस अभियान में तीन विद्रोही मारे गये थे। बरामद डायरी और कागजात से यह मालूम हुआ कि विद्रोहियों में एक सैफुल्ला, पाकिस्तानी नागरिक, गुल का जाहीद और बनिहाल का मुहम्मद हुसैन था। मकान से एक ए०के० राइफल, टेलिस्कोप सहित एक एस०एस०जी० स्निपर राइफल, एक 9 एम०एम० चीनी पिस्तौल और एक हथगोला बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में, श्री आर० एच० आर० नारनावारे, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 दिसम्बर, 1997 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 117–प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और रैंक :

श्री पीटर कुजूर, (दिवंगत)
कांस्टेबल,
96वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री कुलदीप सिंह, (दिवंगत)
कांस्टेबल,
96 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री फैयाज अहमद,
हैड-कांस्टेबल,
96वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

26 मार्च, 1998 को बेरीनगर और जगलानू कलां क्षेत्र में उग्रवादियों के मौजूद होने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। 26-27 मार्च के बीच की रात को 22 पुलिस जवानों वाली एक कमांडो प्लाटून को वहां रवाना किया गया। उन्होंने पहाड़ी पर छितरे हुए घरों में तलाशी ली परन्तु किसी विद्रोही का पता न लग सका। एक उग्रवादी, जो कुछ चट्टानों के बीच झाड़ियों में छिपा हुआ था, ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को देखते ही युक्तिपूर्ण ढंग से गोलियों की बौछार कर दी जिससे श्री कुजूर जख्मी हो गए। घायल होने के बावजूद भी श्री कुजूर रास्ते के किनारे एक खाई में रेंगते हुए पहुंचने में सफल हो गए और इन्होंने गोलीबारी करना शुरु कर दिया। शेष प्लाटून ने शीघ्रता से आड़ ले ली। कांस्टेबल कुलदीप सिंह जोकि श्री कुजूर के पीछे पीछे आ रहे थे, एक शिलाखण्ड की आड़ लेते हुए उनकी मदद के लिए दौड़े और उग्रवादी पर गोलियां चलानी शुरु कर दी। श्री फैयाज अहमद, हैड-कांस्टेबल, ने भी मोर्चा ले लिया और विद्रोही पर गोलियां चलानी शुरु कर दी ताकि उसे शिलाखण्ड के पीछे से बाहर निकाला जा सके। एक ओर से गोलियां चलते देख उग्रवादी ने अपनी पोजिशन बदली और इसी क्षण श्री सिंह ने गोलियां चलाकर उसे मार डाला। इस प्रक्रिया में, एक गोली श्री सिंह के सीने में जा लगी और श्री सिंह, श्री कुजूर की बगल में गिर पड़े। तब तक शेष प्लाटून भी वहां पहुंच गई और उसने उस स्थान को चारों ओर से घेर लिया तथा अपनी ग्रेनेड राईफलों से ग्रेनेड चलाए। सर्व/श्री कुजूर और सिंह को वहां से बाहर निकाला गया लेकिन घावों के कारण उन्होंने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। श्री फैयाज अहमद, जिनकी एक टांग जख्मी हो गई थी, को भी बाहर निकाला गया परन्तु उनकी टांग को काटना पड़ा।

मृतक उग्रवादी से एक ए०के० राइफल, चीन में बनी एक पिस्तौल, दो हथगोले और 5 मैगजीनें बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री पीटर कुजूर, कांस्टेबल, (दिवंगत) श्री कुलदीप सिंह और श्री फैयाज अहमद हैड-कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 मार्च, 1998 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 118-प्रेज 99-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों नाम और रैंक

श्री एस० विनोद शर्मा, (दिवंगत)
कमांडेंट, 60वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री बीर सिंह, (दिवंगत)
उप-निरीक्षक,
60 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री टी० जान कैनेडी, (दिवंगत)
कांस्टेबल,
60वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री शशि भान सिंह,
कांस्टेबल,
60वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

13-11-1998 को टेकनवाड़ी के एक घर में कुछ उग्रवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर श्री विनोद शर्मा, कमांडेंट, ने दो प्लाटूनों को साथ लेकर लक्षित घर को घेरने की योजना बनाई। गांव में घुसने के बाद उन्होंने नम्बरदार को बुलाया तथा सभी गांव वालों को गांव के बीचों बीच एक स्थान पर आने के लिए कहा। फिर उन्होंने उप-निरीक्षक बीर सिंह, कांस्टेबल जान कैनेडी और कांस्टेबल शशि भान सिंह को अपने साथ लिया और उस संदिग्ध घर की ओर बढ़े जहां संभवत: उग्रवादियों के छिपे होने की उन्हें सूचना मिली थी। तीन कांस्टेबलों के साथ कमांडेंट ने उस घर को घेर लिया। कान्स्टेबल शशि भान ने घर की एक ओर मुख्य द्वार पर मोर्चा संभाल लिया तथा उप-निरीक्षक बीर सिंह, कांस्टेबल जान कैनेडी और कमांडेंट ने घर के दोनों ओर मोर्चा लेकर दरवाजे पर ठोकर मारी। इसी के साथ श्री शर्मा ने घर के अन्दर के लोगों को बाहर आने के लिए कहा। उग्रवादियों में से दो वहां से उठे और हैज की कतारों की आड़ में गांवों की ओर बच कर भागने में सफल हो गये। तीन राईफलों के साथ एक उग्रवादी ने वहां तब तक के लिए मोर्चा संभाल लिया जब तक कि सीमा सुरक्षा बल की पार्टी चली न जाए। इस उग्रवादी ने उपरी मंजिल के बरामदे में मोर्चा ले लिया था। जब श्री शर्मा ने अन्दर छिपे व्यक्ति को बाहर आने के लिए ललकारा तो अन्दर से कोई जवाब नहीं आया। तब श्री शर्मा अपनी राइफल समेत फुर्ती के साथ घुसे, और जैसे ही वे अन्दर घुसे उन पर उग्रवादी द्वारा गोलियों की बौछार की गई। अपने कमांडेंट को घायल होते देख उप-निरीक्षक बीर सिंह

और कांस्टेबल जॉन कैनेडी भी घर में तेजी के साथ अन्दर घुसे परन्तु वे भी उस उग्रवादी, जो पहली मंजिल पर छिपा हुआ था, की गोलियों की दूसरी बौछार से घायल हो गए। इससे पहले कि कांस्टेबल शशि भान कोई कार्रवाई करते, उग्रवादी ने अपनी और अपने दोनों साथियों की राइफलें लेकर सीढ़ियों से उतर कर तेजी से दरवाजे से होते हुए खेतों में भाग निकलने का प्रयास किया। तथापि, गोलियों की उन दो बौछारों के बाद, कांस्टेबल शशि भान ने मोर्चा संभाल लिया था और इन्होंने उग्रवादी पर एक बर्स्ट फायर किया और उसे सीढ़ियों से भूतल पर पहुंचने से पहले ही मार गिराया। मृतक आतंकवादी की पहचान मकसूद भाई निवासी सियालकोट, पाकिस्तान, जिसका कोड अबू शाहीन, कम्पनी कमांडर, अल-बदर ग्रुप था, के रूप में की गई तथा उससे मैगजीनों के साथ और गोला-बारूद बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री एस० वी० शर्मा, कमांडेंट (दिवंगत) श्री बीर सिंह, उप-निरीक्षक, (दिवंगत) श्री टी० जे० कैनेडी, कांस्टेबल और श्री एस० बी० सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13-11-1998 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 119-प्रेज 99—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री एस० के० सिंह,
सहायक कमांडेंट,
7वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

24-3-98 को इस आशय की एक विशिष्ट सूचना मिली कि 25-3-1998 को बड़े सवेरे उल्फा के कुछ उग्रवादियों की कुछ संगठनात्मक कार्य से जोरहाट शहर में के० बी० रोड में आने की संभावना है। असम पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बी कम्पनी की एक प्लाटून ने श्री एस० के० सिंह, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में 25-3-98 को 05.30 बजे सुनियोजित ढंग से अनुकूल स्थान पर घात लगाई। करीब 07.00 बजे दो संदिग्ध उग्रवादी इस स्थल पर आए जिन्हें पुलिस दल ने चुनौती दी। चुनौती मिलने पर उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी और तेजी से समीप के रिहायशी क्षेत्र में घुस गए। श्री सिंह ने अपने दल समेत उनका तेजी से पीछा किया। इस दल पर रिहायशी इलाके से पुनः गोली-बारी की गई जिससे दोनों ओर से भारी गोली-बारी हुई। उग्रवादियों के साथ भारी गोली-बारी के दौरान, सहायक कमांडेंट एस० के० सिंह के दाएं कंधे में एक गोली लगी। श्री सिंह, यद्यपि घायल हो चुके थे, फिर भी इन्होंने पीछा करना जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप एक उग्रवादी के पैर में गोली लगी घायल हो गया। इस प्रक्रिया के दौरान, श्री सिंह के दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में फिर एक गोली लग गई जिससे उनके हाथ से पिस्तौल गिर गई। इस घाव के बावजूद भी श्री सिंह ने पुनः पिस्तौल उठाई और गोली चलाना जारी रखा। एक बार फिर श्री सिंह के जबड़े के निचले भाग में गोली लगी परन्तु घावों की परवाह न करते हुए इन्होंने पीछा करना जारी रखा और अपनी देख-रेख में उग्रवादी पर कारगर ढंग से गोली-बारी करवाते रहे। इस प्रकार उन्होंने उल्फा के एक कट्टर उग्रवादी को घटना स्थल पर ही मार गिराया जिसकी पहचान सुमन्त बोहरा उर्फ बुधवा, उल्फा सैनिक कमांडर, धनसिरी आंचलिक परिषद् के रूप में हुई। उससे पांच जीवित कारतूस तथा पिस्तौल के दो खाली खोल तथा अन्य अभिशंसी दस्तावेज बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, श्री एस० के० सिंह, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24-3-1998 दिया जाएगा।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 120-प्रेज 99—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री राज कपूर,
कांस्टेबल,
62वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23 जून, 1997 को असम पुलिस कर्मियों के साथ निरीक्षक नेगी की कमान में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की

62वीं बटालियन की एक पार्टी जिसमें एक निरीक्षक, दो उप-निरीक्षक, तीन हैड-कांस्टेबल और कांस्टेबल राज कपूर सहित दस कांस्टेबल शामिल थे, बोरो बाजार चौकी, बोंगईगांव जिला से लगभग 07.00 बजे गश्त ड्यूटी पर बिजनू टाऊन की दिशा में चले । 07.45 बजे के लगभग कमरगांव गांव में पहुंचने पर उनकी पार्टी पर उल्फा उग्रवादियों द्वारा गोली-बारी की गई । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की पार्टी ने तत्काल क्षेत्र की घेराबन्दी कर ली, मोर्चा ले लिया और जवाबी कार्रवाई की । कांस्टेबल कपूर ने घात के स्थान से निकल कर अपनी अचूक गोलीबारी से एक कट्टर उल्फा कार्यकर्ता, लक्की डेका को मार गिराया और अन्य को भागने पर विवश कर दिया । आगे तलाशी लेने पर, मारे गए उग्रवादी से ए० के०-47 और तीन मैगजीन के साथ सक्रिय गोलाबारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, श्री राज कपूर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 जून, 1997 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 121-प्रेस 99—राष्ट्रपति, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री परिमल सिंह,
लांसनायक,
24वीं बटालियन,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

गुलाम रसूल पंडित, गांव-बुनागुंड (जम्मू एवं कश्मीर) के घर में 3 आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में आसूचना प्राप्त होने पर, बेरिनाग स्थित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की 24वीं बटालियन के कमांडेंट ने 4 छोटी-छोटी पार्टियों के साथ घेराबंदी करने और तलाशी अभियान चलाने की योजना बनाई । 11वीं, एस० पी० टी० कंपनी के लांसनायक परिमल सिंह भी पार्टी के एक सदस्य थे । 13-2-99 को लगभग 22.30 बजे, जब घेराबंदी करने वाली पार्टियों गुलाम रसूल के घर के नजदीक पहुंच रही थी तो घर के पश्चिमी हिस्से, जहां श्री परिमल सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ था, से उन पर गोलियों की बौछार हुई तथा उसके बाद आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंके । उग्रवादी ने घेराबन्दी से बचकर निकलने के लिए घेराबन्दी करने वाली टुकड़ियों को डराने के लिए उन पर और ग्रेनेड फेंके लेकिन सफल नहीं हुआ । उसी रात (14-2-99) को करीब 02.00 बजे उग्रवादियों ने अंधा-धुंध गोलीबारी शुरू कर दी और एक बिजली के बल्ब को तोड़ने में कामयाब हो गए जोकि उत्तर पश्चिम की दिशा में उनके बचाव मार्ग पर जल रहा था । बचकर भागने के प्रयास में उग्रवादी ने टुकड़ियों पर एक और ग्रेनेड फेंका । श्री सिंह ने अंधेरे में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी और इन्होंने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उच्चकोटि की वीरता का परिचय देते हुए उस बचाव मार्ग की तरफ रेंग कर गए और नजदीकी लड़ाई में उस उग्रवादी का सामना कर उसे मार गिराया जिसकी बाद में हरकत-उल-मुजाहिद्दीन (एच यू० एम०) गुट के खुरशीद अहमद गनई के रूप में शिनाख्त की गई । अन्य उग्रवादी अंधेरे का लाभ उठाकर बच कर निकलने में कामयाब हो गए । एच० यू० एम० गुट के एक दूसरे उग्रवादी, मुजफ्फर अहमद पडेर का शव भी तलाशी के दौरान घर के अंदर पड़ा हुआ मिला । तलाशी के दौरान निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया :—

i) ए० के०-56	01 नग
ii) मैगजीन ए० के०-56 राईफल	02 नग
iii) ए० के०-56 राइफल	06 राऊंडस
iv) हैंड ग्रेनेड	01 नग
v) पाऊच	01 नग

इस मुठभेड़ में, श्री परिमल सिंह, लांसनायक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 फरवरी, 1999 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 122-प्रेस/99—राष्ट्रपति, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और रैंक

श्री अभिचन्द,
सहायक कमांडेंट ।

श्री विजय कुमार,
कांस्टेबल ।

श्री सुशील कुमार,
कांस्टेबल ।

श्री पन्ना लाल,
कांस्टेबल ।

श्री बिजेन्द्र सिंह,
कांस्टेबल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

श्री काबुल सिंह, कमांडेंट को गांव चिखार में कुछ कट्टर विदेशी उग्रवादियों की उपस्थिति की निश्चित सूचना प्राप्त हुई । तदनुसार, एक छानबीन आपरेशन की योजना बनाई गई । 2 नवम्बर, 1998 को, जब टुकड़ियां समीप आ रही थी, तो श्री राणा, जो इस आपरेशन में अपनी कम्पनी की कमान सम्भाले हुए थे, ने एक मकान में कुछ संदिग्ध गतिविधियां होते देखी । श्री राणा ने तुरन्त इसकी सूचना अपने कमांडेंट को दी, जिन्होंने घर के सभी स्त्री और पुरुषों को मकान से बाहर आने के लिए कहा ताकि मकान की छानबीन की जा सके । इसी दौरान श्री अभिचन्द, सहायक कमांडेंट को अन्य मार्ग बन्द करने और घात लगाने का आदेश दिया गया । और पुलिस पार्टी ने उग्रवादियों पर हमला किया लेकिन दुर्भाग्यवश इस हमले में श्री राणा को गोली लगी और वे जख्मी हो गए और वहीं पर दम तोड़ दिया ।

अन्य उग्रवादी, कम रोशनी का लाभ उठाकर घेराबन्दी पार्टी पर भारी गोलाबारी करते हुए उस क्षेत्र से भाग निकले । श्री काबुल सिंह ने श्री अभिचन्द, सहायक कमांडेंट और उनके साथियों को विषम परिस्थितियों में आतंकवादियों का पीछा करने और उन्हें जाल में फंसाने का निर्देश दिया । श्री चन्द ने उग्रवादियों का पीछा करने के लिए एक पुलिस पार्टी का चुनाव किया जिसमें श्री विजय कुमार, सुशील कुमार, पन्ना लाल और विजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल शामिल थे । इस टुकड़ी ने गांव की बाहरी सीमा पर आतंकवादियों को देखा और उन्हें ललकारा जिसके परिणामस्वरूप परस्पर भीषण गोलीबारी हुई । श्री चन्द, विजय कुमार और सुशील कुमार ने बहादुरी पूर्वक गोलाबारी का सामना करते हुए उग्रवादियों को घेर लिया और एक व्यक्ति को मार गिराया । बाद में उसकी पहचान लश्करे तोईबा बटालियन के स्वयंभू कमांडर अबु रहमान के रूप में की गई । श्री पन्ना लाल और बिजेन्द्र, सिंह ने गोलीबारी करते हुए अन्य उग्रवादियों का पीछा करना जारी रखा और एक किलोमीटर की दूरी पर आतंकवादियों को उलझाए रखा । इस मुठभेड़ के परिणामस्वरूप एक उग्रवादी मारा गया । बाद में, उसकी पहचान अबु हमीद के रूप में की गई जो लश्करे तोइबा उग्रवादी गुट का स्वयंभू बटालियन कमांडर था ।

इस आपरेशन में लश्कर-ए-तोईबा के दो कट्टर उग्रवादी मारे गए और निम्नलिखित हथियार गोलाबारुद बरामद किया गया :—

ए०के०—56 राईफल	3 नग
ए०के०—47 राइफल	2 नग
वायरलैस सेट	3 नग
मैगजीन	15 नग
सक्रिय गोलाबारूद	143 नग
बालिस्टिक कारट्रेज	2 नग
ग्रेनेड हैंड राइफल	12 नग
कम्पास	2 नग
जिला अमीर इस्लामाबाद की रबड़ स्टैम्प	1 नग
लश्कर-ए-तोईबा का पहचान-पत्र	1 नग
उर्दू में लेख	1 नग
खुले पन्नों सहित डायरियां	7 नग

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री अभिचन्द, सहायक कमांडेंट, विजय कुमार, कांस्टेबल, सुशील कुमार, कांस्टेबल, पन्ना लाल कांस्टेबल और बिजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 नवम्बर, 1998 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 123-प्रेस/99—राष्ट्रपति, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री सुभाष चन्द,
कांस्टेबल,
19वीं बटालिय,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

25-11-1998 को करीब 1500 बजे, उग्रवादियों ने मोबाइल पार्टी को वाएलू से कोकरनाग ले जा रहे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के एक वाहन पर घात लगा कर हमला किया । इस पर वाहन के कमांडर ने वाहन चालक को वाहन, घात लगाए गए स्थान से, दूर भगा कर ले जाने का आदेश दिया जिससे कि जवाबी हमला करने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जाए । दुश्मन द्वारा लगाई गई घात के दौरान उग्रवादियों ने एक ग्रेनेड दागा जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वाहन में

जाकर गिरा। वाहन में बैठे श्री सुभाष चन्द ने ग्रेनेड को देख कर उसे हाथ से उठाया और इस बात को भलीभांति जानते हुए कि ग्रेनेड चार्ज है, उसे वाहन से बाहर फेंक दिया। चार्ज ग्रेनेड हवा में फट गया जिससे श्री सुभाष उसकी किरचें लगने से घायल हो गए। इस प्रकार श्री चन्द के इस साहसिक कार्य ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस दल के सम्पूर्ण पार्टी को सुरक्षित बचा लिया।

इस मुठभेड़ में, श्री सुभाष चन्द, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 नवम्बर, 1998 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 124-प्रेज/99—राष्ट्रपति, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक
(दिवंगत) श्री अशोक कुमार राणा,
सहायक कमांडेंट,
19वीं बटालियन,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5 जनवरी, 1998 को लगभग 0930 बजे, गाओरन गांव में राष्ट्र-विरोधी तत्वों की गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय सूचना मिलने पर, श्री राणा ने उनके बचकर भाग निकलने के मार्गों को बन्द करने के लिए 3 पार्टियों को तैनात किया। श्री राणा के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ राष्ट्र-विरोधी तत्वों का सामना हुआ। और उनमें मुठभेड़ हुई इस मुठभेड़ में, एक खूंखार उग्रवादी, जिनकी शिनाख्त बाद में हरकत-उल-अंसार गुट के अब्दुल रशीद मोहद के रूप में की गई, घटनास्थल पर ही मारा गया और अन्य उग्रवादी पास के एक घर की तरफ बचकर भाग निकले और वहां से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों पर लगातार गोलीबारी करते रहे। परस्पर गोलीबारी के दौरान, राष्ट्र विरोधी तत्वों से बचने के लिए भ्रम पैदा करने के लिए उस घर को आग लगा दी। उस घर का मालिक और उसके परिवार के सदस्य घर के अन्दर फंस गए थे। श्री राणा ने अन्य लोगों के साथ जलते हुए घर में प्रवेश किया और धधकती आग में से 4 पुरुषों और 3 महिलाओं को बाहर निकाल लिया। घर की तलाशी लेने पर पाया गया कि राष्ट्र-विरोधी तत्व, जलते हुए घर, कम रोशनी और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र का फायदा उठाकर बचकर भाग निकले। निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया :—

(i)	ए० के०—56 राइफल	01
(ii)	ए०के०—56 राइफल मैगजीन	03
(iii)	ए०के०—57 सजिव गोलाबारूद	60 राउंड्स
(iv)	हैंड ग्रेनेड	01
(v)	कारतूस के खाली खोल	10 नग

इस मुठभेड़ में, श्री ए० के० राणा (दिवंगत) ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 जनवरी, 1998 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 125-प्रेज/99—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और रैंक :

(दिवंगत) श्री सी० बी० चंद्र हासा,
कांस्टेबल,
5वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री एम० रमेश भाई, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
5वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8-4-1998 को लगभग 2000 बजे, साफाकेरा में जम्मू एवं कश्मीर पुलिस कैंप के विशेष अभियान दल के माध्यम से यह विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर कि हिजबुल मुजाहिद्दीन ग्रुप के कुछ उग्रवादी देर रात खाना खाने के लिए कुम्हार मोहल्ला की ओर आ रहे हैं, श्री आर० एस० शेखावत, सहायक कमांडेंट ने रास्ते में घात लगाने की योजना बनाई। अपने दलों को ब्रीफ करने के उपरांत वे अपनी कंपनी की एक प्लाटून और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल के चार कार्मिकों को साथ लेकर रवाना हुए और कुम्हार मोहल्ला के रास्ते में जल्दी में घात लगा ली।

2315 बजे के लगभग कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां सर्वप्रथम कांस्टेबल श्री एम० रमेश भाई और

कांस्टेबल श्री सी० बी० चन्द्र हासा के नोटिस में आई, जोकि अलग हुए दल के सामने मोर्चा संभाले हुए थे । उन्होंने संदिग्ध उग्रवादियों को ललकारा और पुष्टि हो जाने पर उन्होंने, तत्काल उग्रवादियों पर गोलीबारी शुरु कर दी, जिसके परिणामस्वरुप उनमें से एक उग्रवादी घायल हो गया। उग्रवादियों ने भी जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी और जवानों पर गोलीबारी की कांस्टेबल भाई और चंद्र हासा ने उग्रवादियों को अपने घायल साथी को घसीटते हुए ले जाते देखा और उन्होंने सभी उग्रवादियों को मारने के उद्देश्य से उनका पीछा करने की कोशिश की । कांस्टेबल एम० रमेश भाई ने 7.62 एम०एम०एस०एल०आर० से 15 राऊंड चलाए और कांस्टेबल हासा ने एम० एल०आर० 7.62 एम०एम० से 18 राऊंड चलाए । दुर्भाग्यवश, उग्रवादियों द्वारा अचानक की गई गोलीबारी के कारण दोनों को गोलियां लगी, जिसके फलस्वरुप, दोनों गंभीर रुप से घायल हो गए । इसी बीच, उग्रवादी अँधेरे का लाभ उठाकर बच कर भाग निकले । श्री चंद्र हासा को, बाद में, सेना अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री सी० बी० चंद्र हासा और कांस्टेबल, श्री एम० रमेश भाई ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 अप्रैल, 1998 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 126-प्रेज 99—राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक :

(दिवंगत) श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह,
उप-निरीक्षक,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

14-9-1997 को, उप-निरीक्षक इरजेक्यूटिव, बिरेन्द्र कुमार सिंह 0500 बजे से एच०पी०सी० एल० विशाखापत्तनम में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नियंत्रण कक्ष के ड्यूटी प्रभारी अधिकारी थे । 0610 बजे के लगभग केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी अधिकारी, श्री सिंह को एल० पी० जी० स्टोरेज यार्ड के करीब गैस का रिसाव होने के बारे में सूचना मिली । गैस के रिसाव से उत्पन्न होने वाले खतरे की आशंका से श्री सिंह ने अग्नि सुरक्षा विभाग को तुरंत सूचित किया और साथ ही उन्होंने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों और उस उपक्रम के कर्मचारियों को उनकी जान को गंभीर खतरे की चेतावनी देना भी शुरु कर दिया । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का बैरक भी दक्षिण मुख्य द्वार के नजदीक स्थित है और इसलिए श्री सिंह ने जवानों को सुरक्षित स्थान पर चले जाने के लिए चौकस करने हेतु संदेश भी भेज दिया । वे लोगों को वहां से हटाने हेतु शोर करते हुए अपने ड्यूटी स्थान से दौड़ पड़े और अपने जीवन की निश्चित खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए, अन्य कार्मिकों को सुरक्षित स्थान पर चले जाने के लिए सतर्क किया । अन्य लोगों ने उन्हें गैस के रिसाव के पास से भाग जाने की चेतावनी दी, लेकिन बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए वे अन्य लोगों को वहां से भाग जाने की चेतावनी देते रहे । गैस के रिसने के कारण, 0630 बजे के लगभग एक बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट का प्रभाव इतना अधिक था कि उपक्रम का पूर्ण प्रशासनिक भवन, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नियंत्रण कक्ष इत्यादि विस्फोट से उड़ गए और ढह गए । श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह, अपने सहकर्मियों और एच० पी० सी० एल० के कर्मचारियों की जान को बचाते हुए विस्फोट के कारण तुरंत मर गए । इस प्रकार श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह ने बल की उच्चतम परम्पराओं को बनाए रखते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया ।

इस कार्रवाई में, (दिवंगत) श्री बी० के० सिंह ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 सितम्बर, 1997 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 127-प्रेज 99—राष्ट्रपति, तमिलनाडु/आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और रैंक :

श्री पी० थामराई कानन,
पुलिस अधीक्षक,
तमिलनाडु सरकार ।

श्री जे० लक्ष्मणस्वामी,
निरीक्षक,
तमिलनाडु सरकार ।

श्री डी० गांधी,
निरीक्षक,
तमिलनाडु सरकार ।

श्री डी० रामचन्द्र राव,
सहायक उप-निरीक्षक,
आन्ध्र प्रदेश सरकार ।

श्री के० एच० एच० सुब्रमणियन,
कांस्टेबल,
आन्ध्र प्रदेश सरकार ।

श्री डी० डी० वी० प्रसाद,
कांस्टेबल,
आन्ध्र प्रदेश सरकार ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

आंतकवादी गुट "अल-उम्मा" द्वारा 14-2-1998 को कोयम्बटूर में की गई बम-विस्फोट की श्रंखला से सम्बन्धित मामलों में यद्यपि 166 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है फिर भी कुछ खूंखार आतंकवादी गिरफ्तारी से बचते रहे हैं । श्री थामराई कानन और उनके दल ने आन्ध्र प्रदेश के राजामुंद्री नामक स्थान में सात आतंकवादियों का पता लगाया और दो सशस्त्र आतंकवादियों, नामतः सादिक अली और यूसुफ उर्फ शाहजहां को दिनांक 11-10-1998 को करीब 15.15 बजे घेर लिया । जबकि जे० प्रभाकर राव, पुलिस उपाधीक्षक, राजामुंद्री और निरीक्षक गांधी पिछली ओर से दोनों अभियुक्तों की ओर बढ़ते गए, थामराई कानन और निरीक्षक लक्ष्मणस्वामी और उनके दल ने सामने की ओर से उनका मुकाबला किया । इस कार्रवाई में, इससे पहले कि वे अपना भरा हुआ पीतल का रिवाल्वर और आजीलियन चाकू का इस्तेमाल कर पाते, उन्हें निहत्था कर उन पर काबू पा लिया गया । इस तरह, जहां सादिक अली को थामराई कानन, जे० प्रभाकर राव और गांधी द्वारा जीवित पकड़ लिया गया, वहीं यूसुफ उर्फ शाहजहां को सर्वश्री रामचन्द्र राव, डी० डी० वी० प्रसाद और सुब्रमणियन की सहायता से लक्ष्मणस्वामी ने दबोच लिया । थामराई कानन और उनके दल ने तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए उपलब्ध अतिरिक्त बल को एकत्र कर शीघ्रता से शेष 5 आतंकवादियों के छिपने के स्थान वामसी अपार्टमेंट की ओर रवाना हुए । एक पार्टी ने उस स्थान को घेर लिया जबकि दूसरे दल, जिसका नेतृत्व थामराई कानन कर रहे थे, ने उस अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर तुरंत धावा बोल दिया जहां पांचो आतंकवादी भरे हुए रिवाल्वर और विस्फोटकों के साथ छिपे हुए थे और बचकर भागने की तैयारी कर रहे थे । थामराई कानन और राव, जुबैर के ऊपर झपट पड़े और जैसे ही जुबैर पास में रखी अलमारी में रखे रिवाल्वर को उठाने के लिए आगे बढ़ा तो उसे काबू कर लिया । तथा इस प्रकार उसे तथा अन्य किसी आतंकवादी को रिवाल्वर के पास पहुंचने से रोक दिया और अपने दल को हताहत होने से बचा लिया । इसी के साथ, निरीक्षक लक्ष्मणस्वामी और गांधी, सहायक उप-निरीक्षक राव, पी० सी० एस० प्रसाद और सुब्रमणियन ने फुर्ती के साथ अन्य आतंकवादियों, नामतः मोहम्मद अंसारी, नवाब खान, एस० एम० बुहारी और इदायथ अली खान को दबोच लिया और उन्हें किसी भी शस्त्र विस्फोटकों का प्रयोग करने से सफलतापूर्वक रोक लिया । इस तरह से दो क्रमिक अभियानों के दौरान 7 में से 5 खूंखार आतंकवादियों को जीवित पकड़ लिया गया । उनमें से प्रत्येक की गिरफ्तारी पर दो-दो लाख रुपए का इनाम घोषित था । अभियान के दौरान एस० ए० बाशा का एक पत्र भी बरामद किया गया जिससे उनकी अगली कार्य योजना का भी पता चला ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री थामराई कानन, पुलिस अधीक्षक, जे० लक्ष्मणस्वामी, निरीक्षक, डी० गांधी, निरीक्षक, डी० रामचन्द्र राव, सहायक उप-निरीक्षक, के० एच० एच० सुब्रमणियन, कांस्टेबल और डी० डी० वी० प्रसाद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11-10-98 से दिया जाएगा ।

अरुण मिश्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 128 – प्रेज/99—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री गौड़ हरी साओ, (दिवंगत)
कांस्टेबल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

11 मार्च, 1998 को लगभग 19.00 बजे कुछ सशस्त्र नक्सलवादियों ने अचानक पुलिस स्टेशन तारला गुडा पर भारी गोलीबारी और बम ग्रेनेड फैंकना शुरू किया । श्री गौड़ हरी साओ, कांस्टेबल, जिन्होंने अभी-अभी खाना खाया ही था, ने आगे बढ़ रहे उस नक्सलवादी से राइफल छीनने की कोशिश की जिसने बंधक बनाने की कोशिश की । उन्होंने चिल्लाकर फोर्स को सावधान किया लेकिन नक्सलवादियों के साथ संघर्ष के दौरान वे बुरी तरह जख्मी हो गए और बाद में जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया । इस पर, एस० एच० ओ० ने फोर्स को मोर्चा सम्भालने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए कहा । तदनुसार ही कांस्टेबल मन बहादुर खिड़की की तरफ गए और अपनी एल० एम० जी० को उस पर रखा और गोलियों का जवाब दिया । कांस्टेबल, सिंह, गिरी और गोटा ने अग्रिम मोर्चा सम्भाला और नक्सलवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी के भारी खतरे के बावजूद उनके आक्रमण का जवाब दिया और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया । सुबह, जब गोलीबारी

बंद हो गई, तो 8 नक्सलवादी मरे हुए पाए गए । घटना-स्थल से दो ए॰ के॰-47, तीन 0.303 राइफलें, 14 हथगोले और अन्य सक्रिय गोलाबारूद बरामद किया गया। दोनों तरफ से हुई इस गोलीबारी में एस॰ एच॰ ओ॰ टोकी और एच॰ सी॰ साकेत भी अग्नी हुए ।

इस मुठभेड़ में (विवरण) श्री जी॰ एच॰ साओ, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 मार्च, 1998 से दिया जाएगा ।

करुण मित्रा,
राष्ट्रपति का उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 1999

संकल्प

सं॰ 8-2/98-आई॰ जे॰ एस॰ सी॰—योजना आयोग के दिनांक 1 जून, 1962 के संकल्प सं॰ एफ-13(39)/62-प्रशा॰ 1 के द्वारा गठित एवं दिनांक 15 जनवरी, 1979 के संकल्प सं॰ 8-2/79-आई॰ जे॰ एस॰ सी॰ के द्वारा "भारत-जापान अध्ययन समिति" के रूप में पुनर्नामित तथा अंत में योजना आयोग के दिनांक 24 नवम्बर, 1998 के संकल्प सं॰ 8-2/98-आई॰ जे॰ एस॰ सी॰ के द्वारा पुनर्गठित भारत व जापान में आर्थिक विकास के अध्ययन हेतु समिति को एतद्द्वारा, तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव तथा जापान में भारतीय राजदूत को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसकी प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

अरविन्द कुमार
निदेशक (प्रकाशन)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 1999

सं॰ एफ॰ 9-4/97-यू॰ 3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे को तत्काल प्रभाव से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा सम-विश्वविद्यालय घोषित करती है ।

ब्रह्मक चटर्जी
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 27th September 1999

No. 102-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Ashok Kumar (Posthumous)
Constable,
New Delhi.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the intervening night of 2/3-1-99 around 9.30 p.m. while patrolling the Prahlad Market in Karol Bagh, Constable Ashok Kumar spotted three men robbing an auto rickshaw driver. Alerting his other two associates, he pounced upon them and apprehended two of the robbers Baboo @ Sumit & Sunil @ Sonu with the assistance of his colleagues. However, the third managed to escape and ran towards a school. He jumped over an eight feet high wall and jumped on to the road. Constable Ashok Kumar who was chasing him followed suit and sustained serious spinal injury. Despite the debilitation injury, Const. Ashok Kumar continued to hold on to the robber and retained his grip till his colleagues reached in his aid. While under treatment at the AIIMS, Constable Ashok Kumar succumbed to his injuries on 31-1-99.

2. In this encounter late Shri Ashok Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

3. This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd January, 1999.

BARUN MITRA, Dy. Secretary to the President

No. 103-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Jagdish Prashad,
Constable (Now HC),
Delhi Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15th November, 1998, four robbers looted Rs. 19 lacs from Paras Milk Products, Ranjeet Nagar after inflicting gunshot injuries upon escorting staff and escaped in a vehicle. After hearing commtion caused by the incident, Constable Jagdish Prashad chased the robber's vehicle on a scooter and compelled them to turn towards DTC Colony. On request, a DTC driver blocked the entrance to the road. Robbers were forced to abandon the vehicle and fled on foot.

A group of boys playing cricket also joined Const. Prashad in the chase. To keep them at bay, robbers fired on them hitting one of them. After that they snatched a Tata Sumo. Undeterred Const. Prashad kept up the chase. In Ranjeet Nagar, residents after hearing shouts of Const. Prashad pelted stones on the said Tata Sumo. Robbers abandoned it and ran away. Getting closer, Const. Prashad overpowered one of the robbers named Ashok Kumar. Another one was killed in the encounter and remaining two escaped. Rs. 13,69,415 were recovered.

2. In this encounter Shri Jagdish Prashad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

3. This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th November, 1998.

BARUN MITRA, Dy. Secretary to the President

No. 104-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri Deena Nath Yadav,
Constable,
Gorakhpur.

Shri A. K. Rai,
Constable,
Gorakhpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

While on bank security duty at Kasumhi Bazar on the 22nd February, 1998, S/Shri Deena Nath Yadav & Ashwani Kumar Rai, Constables heard the sound of bomb explosion and firing in the neighbourhood. They immediately rushed to the site and on reaching there they found that one of the political worker campaigning for Lok Sabha election with colleagues was being attacked by four persons. The police personnel challenged the criminals. The criminals opened fire on the police and hurled bomb on them. One of the political workers and two other persons were injured from the firing of the criminals. Both the police personnel kept engaged the criminals and killed two of the criminals and others managed to escape. On search two Kattas, .12 bore, 6 cartridges and used bombs with their remnants alongwith Hero Honda Motor Cycle were recovered from the encounter.

2. In this encounter, S/Shri D. N. Yadav and Shri A. K. Rai, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

3. This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd February, 1998.

BARUN MITRA, Dy. Secretary to the President

No. 105-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri B. Malakar, (Posthumous)
Havildar.

Shri R. Choudhary,
Constable.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the night of 15/16 April, 97, Havildar Malakar, Constable Choudhary alongwith two other Constables were detailed for escorting Inter City Express which left Barauni Junction at 2.16 A.M. Reaching Ramptur Dumara outer signal at 3.15 A.M. the train stopped on a red signal. Shri Malakar and Constable Choudhary immediately got down and moved towards the engine of the train. In torch light, they found that a vacuum of the train had been out down After having a word with the driver, they advanced further and saw stones being thrown from Eastern side of the train. Shri Malakar, Constable Choudhary and the driver again found that another vacuum of the train was also out of order. Suspecting some foul ploy they decided to ge to the other side of the train. When Shri Malakar was getting down from another side of the train, he was suddenly hit by a bullet on the right thigh causing serious injury. Shri Choudhary rose to the accasion and fired back. He also took the stengun of Shri Malakar and brought his body inside the boyev of the train. At this juncture the criminals started aiming at Shri Choudhary who promptly returned the fire and ultimately compelled them to flee away. He thus saved the life and property of the passengers. Havildar Malakar later on succumbed to his injuries. During investigation, police arrested a culprit Ajij Mahato and seized some signal wires from his residence.

2. In this encounter, late Shri B. Malakar, Havildar and Shri R. Choudhary, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

3. This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th April, 1997.

BARUN MITRA, Dy. Secretary to the President

No. 106-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Mohd. Kasmuddin Ansari,
Constable,
Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 3-10-96, acting on a secret wireless message from Deokund Police Station that a mob of extremist with ultra modern arms were being assembled at Village Dharana, to conduct some anti-social activities, a Police party headed by Nagendra Choudhary reached the village Dharana. Further the Police party was distributed into three parties. All the parties attacked over the mob of extremists from all the quarters. The extremists opened fire at police party. The police party had surrounded the whole village and announced the extremists to surrender before them. But it was replied by an incessant firing. In the firing Constable Ansari sustained severe injury on his left leg. Apprehending danger to police party as well as to the villagers, police force took position for opening fire in defence. Shri Ansari despite his injury, took position, opened fire at the extremists. Further, he asked the extremists to surrender. But the extremists opened incessant fire at the police party. Due to the firing of Shri Ansari, one extremist was gunned down. Since some of the extremists were injured by the police firing, and also taking advantage of the dense forests etc., they fled away from the scene. A rifle of .315 bore with magazine including 5 live cartridges of .315 bore each, a bandollear with 17 rounds live cartridges, a diary were recovered from the scene

2. In this encounter, Shri Mohd. Kasmuddin Ansari, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

3. This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd October, 1996.

BARUN MITRA, Dy. Secretary to the President

No. 107-Pres/99.—The President is pleased to award the President's Police Medal/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force : –

Name aned Rank of the Officers

Shri S. P. Sharma, (Posthumous) (Police Medal)
Assisant Commandant,
33 Bn., CRPF.

Shri Jarnail Singh (Posthumous) (Police Medal)
Constable,
33 Bn., CRPF.

Shri Tejram Ukey J. (President's Police Medal)
Constable,
33 Bn, CRPF.

Shri S. Nandi, (Posthumous) (Police Medal)
Sub-Inspecor.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 14-3-99 SI, Sadan Nandi, Officer-in-Charge PS Nutan Bazar (South District Tripura) received a reliable information about the presence of a group of 6/7 armed NLFT extremists led by Saral Pada Jamatia, a Group Commander of NLFT, in the house of one Harish Reang of Ranjanbari. He immediately informed SDPO Amarpur who in turn approached Shri Som Prakash Sharma, Officer Commanding 33 Bn., CRPF to spare a Platoon to confront this gang. Shri Sharma not only spared the force, but also volunteered to lead this operation. He alongwith SDPO and CI Amarpur and OC PS Nutan Bazar and the Pln left for the destination. After deploying 2 Sections to cover all the escape routes, he alongwith OC PS and one section started searching the houses. Before entering the house of Harish Reang at about 2030 hrs. Shri Sharma detailed Shri Ukey, to cover the door leading to the bed room from out side and entered the room alongwith Shri Nandi, SI & Sh. Jarnail Singh, Constable. On seeing the extremist Saral Pada Jamatia inside the room in civil dress, and as he could not be recognised instantaneously and to avoid injuries to innocent persons who were nearby, the party refrained from opening fire and in a bid to catch him alive pounced on the extremist. During the scuffle the extremist Jamatia managed to take out one HE Grenade and tried to throw it at the police party. However, the grenade burst in his hand causing instantaneous death of Shri Sharma and SI S. Nandi and serious injuries to Ct. Jarnail Singh to which he succumbed while on his way to hospital. The right palm of the extremist also got blown off in the blast and despite this injury, he tried to escape from the room. Shri Tej Ram Ukey, Constable who rushed to the scene on hearing the explosion and cries of the injuries, shot dead the extremist by firing 6 rounds from his carbine. The firing by him also forced another suspected extremist Dhiram Reang to surrender. Shri Ukey alerted the nearby CRPF post of the incident through his wireless set immediately thereafter. A subsequent search of the area resulted in the recovery of one 9 mm Carbine, 3 Magazines, 164 rounds of ammunition, cash Rs. 10,900/- (Indian Currency), Taka 1422 (Bangla Desh currency) and incriminating documents and photographs.

In this encounter, late Shri S. P. Sharma, Asstt./Comdt; late Shri Jarnail Singh, Const.; Shri Tejram Ukey J, Const. and late Shri S. Nandi, S. I. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th March, 1999.

BARUN MITRA, Dy. Secy. to the President

No. 108-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Assam Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Manoj Kumar Saikia, (Posthumous)
Constable,
Simaluguri Village,
Distt. Dibrugarh,
Assam.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 13-12-1998, at about 1500 hrs. one ULFA activist, namely, Subha Gogoi @ Milan Geogoi was apprehended in Naka duty one ULFA letter addressed to one hardcore ULFA activist, was recovered from his possession. Immediately a plan of operation was organised. A police party headed by Addl. S.P. (HQ), Tinsukia which included Constable Saikia proceeded to the said village. While the police party was proceeding towards the village, a group of suspected ULFA activist who were coming from the opposite direction opened fire on them. Constable Manoj Kumar Saikia and the police party returned the fire upon the extremists but Constable Saikia was injured in the firing.

Despite his bullet injuries, Shri Saikia continued to fire upon the extremists to protect the Addl. S. P. and the police party. Shri Saikia fired 9 rounds of ammunition from his service weapon and succeded in protecting the Addl. S.P. and police party. The militants could not advance towards the police team and had to flee away with injuries leaving behind some ULFA related documents at the spot. Later on Shri Saikia succumbed to his injuries.

Thus Constable Shri Saikia laid down his life in the highest traditions of the Force.

In this encounter late Shri M. K. Saikia, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th December, 1998.

BARUN MITRA, Dy. Secy. to the President

No. 109-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Assam Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Hare Krishna Nath
Dy. S.P.,
Dibrugarh.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the 4th August, 1998, acting on a tip off that a batch of ULFA militants had taken shelter at village Bhardhora Bongaligaon, Shri Nath, Dy. S.P. alongwith some other personnel and a platoon of CRPF went to the village, conducted search and raid to flush out the militants in the early dawn. At about 5 A.M., the extremists who were hiding inside the house fired upon the approaching police party causing bullet injuries to Shri Nath in his left hand and hip who was leading. The police party took position and retaliated the fire. The extremists took defensive position and fired on the police party. Then Shri Nath rushed into the room and fired upon the extremists killing one of them on the spot and severely injuring another.

Later on, the killed extremist was idenfied as Kumud Hazarika @ Sangramjyoti Hazarika, a hard-core militant of Dehing Sakha Parishad and other was identified as Tulan Gogoi @ Jintu Boruah a Self-Style 2nd Lieutenant of 28 BN of ULFA extremists. 9 MM Pistols with one Magazine and 31 rounds of 8 mm live ammunition a cash amount of Rs. 96,500/- and some incriminating documents revealing activities of the ULFA organisation were recovered.

In this encounter Shri H. K. Nath, DSP displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th August, 1998.

BARUN MITRA, Dy. Secy. to the President

No. 110-Pres/99.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri H. S. Rao, (Posthumous)
Head-Constable,
58 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 25th December, 1997 Comdt. 58 Bn., BSF received information about some militants who had managed to escape from the cordon laid by BSF towards village Diwan in Rajouri. He immediately sent three parties to cover three different escape routes. The team in which Shri H. S. Rao, Constable was present had to isolate the militants before their reaching to village and accordingly when his team was trying to establish the contact, were fired upon by the insurgent group who were escaping. Shri Rao and two other Constables were moving ahead of the main group. The insurgents who had almost reached the village spotting the scout group fired upon them. In the initial burst, one of the bullets pierced Shri Rao's chest. Despite being injured, Shri Rao took position and dragged his two scouts to position on either side and returned the fire. Shri Rao also kept his will and was able to prevent the insurgents from advancing by firing on them till the main group could reach the spot. By the time the main group could reach the spot, one of the insurgents, who later on turned out to be Abu Basher, Area Commander of Laskar-e-Toiba and an Afghan national, was killed and remaining insurgents had fled. Later on Shri Rao succumbed to his injuries.

One AK 47 Rifle, one Chienese piston and one grenade and magazines and ammunition were recovered from the place of incident.

In this encounter late Shri H. S. Rao, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th December, 1997.

BARUN MITRA, Dy. Secy. to the President

No. 111-Pres/99.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri Prahlad Singh, (Posthumous)
Head-Constable,
6 Bn., BSF.

Shri P. P. Nautiyal,
Asstt. Comdt.,
6 Bn., BSF.

Shri Ombir Singh,
Constable,
6 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 20th Feb., 1998 specific information was received about the presence of insurgents in Village Wangam. Two parties were sent to the village to complete the cordon. The incharge of the second party Shri P. P. Nautiyal started the search of the house with a small group. Shri Nautiyal's group had positioned themselves around a double storey house with the help of civilians. The civilians were asked to search the second floor in which hay and fodder were stacked. While a civilian climbed up to the attic, militants who were hiding there opened fire and one civilian who was hit succumbed to his injuries. Thereafter reinforcements were called for Shri Prahlad Singh Head Constable who was a member of the cordon party when the militants opened fire, narrowly escaped being hit. Shri Singh took position on the first floor and managed to climb up and took position on the landing outside the attic while covering fire was given to Shri Singh by the police party who had positioned themselves on the first floor. The main cordon party had tightened the cordon around the house. From the attic, the militants continued to fire and also threw grenades to deter any further entering into the house. In the exchange of fire, one of the grenades fell near the landing where Shri Singh had taken position and was firing on the militants. The grenade exploded injuring Shri Singh who succumbed to his injuries. The militants continued their firing and also threw grenades on the first floor had to come down. The militants managed to jump out of the window. Shri Nautiyal, AC finding that the militants were trapped in three differnt houses, deployed his troops tactically. Shri Nautiyal positioned his LMG and grenade and was able to lob grenades into the three houses where the insurgents had taken shelter. Shri Ombir Singh, Constable who was firing was hit by militants bullets on his right thigh. Despite his injury he kept on firing and his covering fire helped grenades being launched into the houses. The three houses caught fire as the exploding grenades had set fire to the hay stacked in these houses. In the heavy exchange of fire three militants were killed . The killed militants were later identified as Fakira Gujjar of HM outfit, Hikmatyar of Tazakisthan & Umargul of Yamen. 3 AK Rifles, 2 pistols & 2 grenades with magazines and rounds were recovered in charred condition.

In this encounter late Shri Prahlad Singh, Head Constable, Shri P. P. Nautiyal, Asstt. Comdt. and Shri Ombir Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th February, 1998.

BARUN MITRA, Dy. Secy. to the President

No. 112-Pres/99.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri Mahavir Prasad, (Posthumous)—POLICE MEDAL
Subedar,
4th Bn., BSF.

Shri R. L. Sharma,—BAR TO POLICE MEDAL
Commandant,
4th Bn., BSF.

Shri Mukesh Kumar,—BAR TO POLICE MEDAL
Constable,
4th Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 27th/28th July, 1998 on specific information, Shri Mahavir Prasad took his troops and cordoned a house in which one Pak Insurgent had taken shelter. Just as Shri Prasad completed the cordon, the police party was fired at from the house. Shri Prasad positioned a fire group on one side of the house with two LMGs and concentrated fire on the house. He himself with a small QRT went to the opposite side of the house in a long detour through the paddy fields and managed to come up towards the house without being observed. Shri Prasad reached the house, lobbed a grenade through the window into the house. The militant was in another room and through another window, the militant fired back on the group and one of his bullets hit Shri Prasad critically injuring him.

2. Hearing this encounter, Shri Sharma, Commandant alongwith his 2 I/C Shri Choudhary rushed to the site. The militant inside was firing rifle grenades through the window on the cordon party. Shri Sharma managed to bring a BP vehicle and evacuated Shri Prasad. But Shri Prasad expired before he could reach the hospital. Shri Sharma then moved the

vehicle and came close to the wall of the house despite heavy firing from inside. Shri Sharma threw hand grenades into two sides of the house. Then, by fixing a ladder on the roof of the BP vehicle, Shri Sharma sent Constables Mukesh Kumar and Khazan Singh to the roof who threw two grenades down the chimeny. Thereafter Shri Sharma managed to get the two Constables back to BP vehicle. Meanwhile, the militant who was inside the house reached near the window and threw a grenade. Shri Sharma seeing the grenade kept himself away from the direction of the grenade simultaneously nudging the two Constables who were with him to safety before the grenade exploded. Seeing a respite in the action, the insurgent jumped out of the window and rushed into the paddy field but Shri Mukesh Kumar who was positioned behind the tree saw him trying to escape and managed to kill him with his continuous firing. The killed militant was later identified as Faidullah @Tariq Bhai, a Pakistani insurgent belonging to L. E. T.

3. One AK Rifle, 5 Magazines, 70 rounds, one hand grenade and grenade firing attachment alongwith a number of documents and Rs. 20,000/- and one 9 mm pistol were recovered from the house.

4. In the above encounter, late Shri Mahavir Prasad, Subedar, S/Shri R. L. Sharma, Comdt., Mukesh Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th July, 1998.

BARUN MITRA, Dy. Secy. to the President

No. 113-Pres/99.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri Vijay Ahuja, (Posthumous)
Assistant Commandant,
52 Bn., BSF.

Shri C. H. Sethuram,
Assistant Commandant,
129 Bn., BSF.

Shri Bishan Das,
Lance naik,
129 Bn., BSF.

Shri Santosh Kumar,
Constable,
129 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 8th July, 1998, information was received that a group of insurgents was hiding in Wuyam forest reserve. Shri C. H. Sethuram, AC of 52 Bn., BSF was ditailed with two Coys to recede the outskirts of the forest and lay stops so that no group could escape from the forest. A second party was to beat the forest towards the area where the stops were laid so that the insurgents hiding be forced to escape towards the stops where they could be intercepted. Shri Sethuram who had just completed laying stops and the party which was to move through the forest from the opposite direction had just commenced their move when a shot was fired by the insurgent group from inside the forest. Reinforcement were brought in and after confirmation of the position taken by the stops, movement to clear the forest commenced. Shri Bishan Das, Lance Naik and Shri Santosh Kumar, Constable of 129 Bn. who were in the party advancing through the forest first came into contact with the insurgents who had taken a lay back position to deter the advancing search group. As the firing from the insurgent group ensued, Shri Bishan Das and Shri Santosh Kumar took positions with trees covering them and killed one insurgent who later on was identified as a Pakistani.

Shri Sethuram who was effectively countering the insurgent firing and also controlling the fire of Shri Bishan Das and Shri Santosh Kumar noticed three militants who were trying to break the cordon. When the militants realised that they would be killed, they threw down their weapons and all three were apprehended. Subsequent interrogation led to the information about the route adopted by this insurgent group. By this time, it had become dark but the troops continued to retain their positions and were awaiting the insurgents to break the cordon when one grenade fired by the insurgents landed near where S/Shri Sethuram, Bishan Das and Santosh Kumar were positioned. All the three recived splinter injuries. Both the Lance Naik and Constable were evacuated to Army hospital but Shri Sethuram, AC refused to be evacuated and continued to lead the troops. The cordon party continued at the site throughout the night with intermittent firing being exchanged, to find out whether either side had retreated. In the meanwhile, hearing about the encounter, Vijay Ahuja, AC/JSO(G) Kupwara who intercepted the messages of militants holed up in the jungle decided to visit the spot and reached there at about 0500 hrs next morning. At first light, Shri Vijay Ahuja also joined Shri Sethuram and party. Nearing a small knoll, Shri Ahuja had just raised himself to see ahead when an insurgent who had been hiding in a club of bushes, suddenly jumped up and fired a burst. Shri Ahuja received the bullet in his abdomen and was critically wounded. His fire had exposed the insurgent and a hail of bullets from the advancing party killed him instantly. Shri Ahuja died on his way to the hospital. In the meantime, firing had ceased and when the area was searched, 6 AK-47 Rifles, 2 Pistols, 8 Rifle Grenades, 7 Hand Grenades, One ICON Wireless Set, One KENWOOD Wireless Set, One Rifle Silence and a large quantity of magazines and ammunition were recovered.

In this encounter late Shri Vijay Ahuja, Asstt. Comdt., S/Shri C. H. Sethuram, Asstt. Comdt, Bishan Das, L/Naik and Santosh Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th July, 1998.

BARUN MITRA, Dy. Secy. to the President

No. 114-Pres/99.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri R. L. Sharma, (Police Medal)
Comdt.,

Shri K. S. Rathore, (Police Medal)
Dy. Comdt.

Shri V. P. Purohit, (Police Medal)
2 I/C
82 Bn., BSF.

Shri Shangara Singh, (Posthumous) (President's Police Medal)
Sub-Inspector

Shri Mukesh Kumar, (Police Medal)
Constable

Shri M. Y. Thomas, (Police Medal)
Constable

Shri R. P. Dimri, (Police Medal)
Constable

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 18th July, 1998 specific information was received about presence of militants in village Dangarpora, by Shri R. L. Sharma, Commandant. A party was immediately despatched to Village Dangarpora. However, three insurgents who were hiding in a house of the village on seeing the BSF party and ran into the paddy fields on the outskirts of the village. Knowing that the militants had entered the paddy fields and were hiding inside the standing crop. Shri Sharma divided his column into three groups and cordoned the area from three different directions. The troops who were not firm about the precise location of the militants, were

completely in the open and had no cover of trees while advancing and were exposed to the fire of militants. After judging their approximate location, Shri Sharma directed to fire grenades but they did not prove effective as militants continued firing on the cordon party. Shri Rathore, DC who was leading the second group, established contact with militants and immediately fired on them. Militants fired heavily on him and he was injured in his left arm. Shri Dimri who was with him also took a bullet in his right had. S/Shri Dimri and Rathore took lying position and moved towards insurgents. When Shri Shangara Singh, SI found Shri Dimri and Rathore took lying position and moved towards insurgents. When Shri Shangara Singh, SI found Shri Rathore had been hit, crawled upto him just before another burst from the militants came in his direction. Shri Singh threw himself in front of Shri Rathore and took the burst on his body saved the Dy. Comdt. and sacrificed his life in the process. While Shri Singh was throwing himself over the injured DC, he fired one burst which hit the militant and killed him. Meanwhile Shri Thomas Constable who was behind his Dy. Comdt. was also hit by a bullet but luckily he was saved. Shri Sharma and V. P. Purohit, 2 I/C 82 Bn. BSF closed in from the remaining two sides and by firing grenades were able to kill the other two militants. The encounter lasted for more than 3 hours. The killed militants were later idntified as Mehrazuddin Malik, Shoukat Ahmed and Sayed Sarfea Gilani. 1 AK-47 Rifle and 1 Pistol 9 mm with 3 hand grenades were recovered from the paddy field.

In this encounter, S/Shri R. L. Sharma, Comdt, K. S. Rathore, Dy. Comdt, V. P. Purohit, 2 I/C, late Shangara Singh, SI, Mukesh Kumar, M. Y. Thomas and R. P. Dimri, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5 with effect from 18th July, 1998.

BARUN MITRA, Dy Secy. to the President

No. 115-Pres/99.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri Raghubir Singh, (Posthumous)
Head Constable,
55 Bn., BSF.

Shri Shobnath Prasad, (Posthumous)
Constable
55 Bn., BSF.

Shri K. J. Joy,
Constable/DVR,
55 Bn., BSF.

Shri Jai Bhagwan,
Barber,
55 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 21-5-1997 a convoy from 55 Bn., BSF consisting of five vehicles had come to Imphal on the Imphal-Pallel road for administrative work. On en-route it was realised that one of the personnel had not been picked up. The officer leading the convoy decided to go back and after collecting this person it was 1700 hrs when the convoy left Imphal. Shri Joshi AC who was in the leading jeep of the convoy, saw a truck lying partially across the road short of Kakching. Shri Joshi stopped the convoy and got down to inquire why this truck was lying across the road. On not getting a satisfactory reply, the officer decided to continue. Unfortunately without knowing the local culture of insurgency in Imphal, the AC took the convoy ahead virtually driving into an ambush. As the convoy entered the ambush area and was fired upon, the leading jeep was hit and the AC and the driver were killed. The vhicle went out of control and fell into the ditch ahead of the last insurgent at his ambush point. The vehicle caught fire as bullets had hit its petrol tank. A 5 ton vehicle which ws behind the AC's jeep was heavily fired upon the driver and several personnel in the vehicle were hit. Barber Jai Bhagwan managed to jump out from the rear of this vehicle and took shelter in the ditch. The last vehicle in the convoy was a Tata-407 driven by Shri Joy, Constable. To his left in the driver's cabin was a Head Constable who in the ambush started firing back with his carbine through the side opening of the vehicle. Shri Joy did not have his weapon and luckily he was not hit. Shri Raghubir Singh, Head Constable was hit by bullets and died on the spot, but Shri Joy did not lose his presence of mind and took his carbine and managed to slip through between the driver's cabin and body of the Tata-407 to the rear from where Shri Shobnath Prasad Constable was firing from his LMG into the ambush. Shri Prasad was soon hit by a burst and died on the spot. Shri Joy fired from the carbine and soon emptid his magazine. When he found Shri Shobnath Prasad had died, he picked up his LMG and found started firing. One round hit the LMG and weapon and the weapon stopped firing. Constable Joy found Ct. Yamunnappa lying injured in the vehicle. He then picked up the SLR of this Ct. and again fired back on the ambush party. At this point Barber Jai Bhagwan who had escaped from the leading 5 ton crawled back and hearing the firing sound from Tata-407 he climbed and assisted Ct. Joy in firing from the SLR. There were several magazines lying around and he kept feeding these to the SLR of Shri Joy. After firing three magazines the ammunition was exhausted. Shri Joy then asked Barber Jai Bhagwan to take magazines from LMG and managed to feed them in SLR. Since there was no firing coming from other vehicle both Constable Joy and Barber Jai Bhagwan helped Yamunappa and managed to jump out and hid themselves in the ditch. They then managed to drag Ct. Yamunappa away from the ambush site through the drain.

In this encouter late Shri Raghubir Singh, Head Constable, late Shri Shobnath Prasad, Constable, Shri K. J. Joy, Constable and Shri Jai Bhagwan Barber, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st May, 1997.

BARUN MITRA, Dy. Secy. to the President

No. 116-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri R. H. R. Narnaware,
Sub-Inspector,
96 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 24th December, 1997, information was received about a group of insurgents taking shelter in the house of one Aslam of Larkoi Village. Shri R. H. R. Naranaware, SI alongwith the Commando platoon under the supervision of A. K. Singh, AC was tasked to cordon the house.

2. Shri Narnaware approached and succeeded in cordoning the house of Aslam before the insurgents could be aware of the encircling. Just as the cordon was completed insurgents started firing. In the exchange of the fire one bullet fired by the cordon party hit one of the insurgents who succumbed to his injuries. However, the other two insurgents continued to fire through the windows on the cordon party. Shri Narnaware advanced his men until they were close to the house. Since the house was on a hill slope, Shri Narnaware studied the lay of the ground and set up 2 LMGs in front and directed a heavy volume of fire from this side. Meanwhile, he and two other Constables reached the rear of the house and climbed the roof of the house. Since fire was coming from the front, Shri Narnaware and his two men were in danger of being shot from the fire of their own personnel. However, taking shelter behind the building, they came close to the building and lobbed two grenades through the chimney into the house. The grenades exploded in the room below and killed both the militants who were firing

towards the front of the house. When the firing ceased, it was found that three insurgents had been killed in operations. From the diaries and papers found, it was revealed that the insurgents were one Saifullah, a Pak national, Zahid of Gul and Mohd. Hussain of Banihal. One Rifle, one SSG sniper Rifle with telescope, one 9 mm Chinese pistol and one hand grenade were recovered from the house.

3. In this encounter, Shri R. H. R. Narnaware, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

4. This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th December, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 117-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

(Posthumous)

Shri Peter Kujur,
Constable,
96, Bn., BSF.

(Posthumous)

Shri Kuldeep Singh,
Constable,
96 Bn., BSF.

Shri Fiyaz Ahmed,
Head-Constable,
96 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 26th March, 1998 an information was received about the presence of militants in area Berinar and Jaglanu Kalan. A commando platoon consisting of 22 police personnel was despatched on the intervening night. They conducted searches in the scattered houses on the hill side but could not locate any insurgent. One militant, who was hiding in some bushes in between some rocks, seeing the BSF troops tactically fired a burst which hit Shri Kujur. Though Shri Kujur was injured he managed to crawl into a ditch on the side of the track and started firing. The rest of the platoon immediately took cover. Shri Kuldeep Singh, Constable who was following Shri Kujur however, ran to his help taking cover behind boulders and started firing on the militant. Shri Fiyaz Ahmed, Head Constable also took position and started firing on the insurgents to draw him out of the boulder. Seeing the firing coming from one side, the militant shifted his position and in that spilt Shri Singh fired a burst and killed him. In the process Shri Singh got a bullet in his chest and fell beside Shri Kujur. By then the rest of the platoon came up and they encircled the area and fired grenades from their grenade rifles. S/Shri Kujur and Singh were evacuated but they succumbed to their injuries on the way to the hospital. Shri Fiyaz Ahmed who lost his leg, was also evacuated but his leg had to amputated.

One AK rifle, one chinese pistol, two hand grenades and 5 magazines were recovered from the body of the militant.

In this encounter late Shri Peter Kujur, late Shri Kuldeep Singh, Constables and Shri Fiyaz Ahmed, Head-Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th March, 1999.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 118-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

(Posthumous)

Shri S. Vinod Sharma,
Commandant,
60 Bn., BSF.

(Posthumous)

Shri Bir Singh,
Sub-Inspector,
60 Bn., BSF.

(Posthumous)

Shri T. John Kennedy,
Constable,
60 Bn., BSF.

Shri Shashi Bhan Singh,
Constable,
60 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 13-11-1998, on receipt of information about the presence of militants in a house of Tekanwari, Shri Vinod Sharma, Commandant planned to cordon the target house using the 2 Pls with him. Having entered the village he called the Numberdar and summoned all villagers to come to a central place of the village. He then took SI Bir Singh, Constable John Kennedy and Constable Shashi Bhan Singh with him and proceeded towards the suspected house where probably he had been informed that militants were hiding. The Commandant alongwith three Constables cordoned the house. Ct. Sashi Bhan Singh took position to one side of the main door and SI Bir Singh, Ct. John Kennedy and the Comdt. taking position on either side of the door kicked it open. Simultaneously Shri Sharma shouted that people inside should come out. Two of the militants left the place and under cover of hedge rows managed to slip towards the countryside. One militant was left with three rifles to hold the fort till the BSF party left. This militant had taken position in the upper storey in a verandah. When Shri Sharma called the inmate to come out, there was no response. Shri Sharma then jumped through the door with his rifle cocked, and as soon as he entered, he was hit by a burst from the militant. Seeing the Commandant hit, SI Bir Singh and Ct. John Kennedy dashed into the house but both were hit by a second burst of fire by the militant who had concealed himself on the first storey. Before Ct. Shashi Bhan Singh could react, the militant dashed down the stairs carrying his own rifle and the two rifles of his comrades and took a flying leaf from the door trying to escape into the fields. Ct. Shashi Bhan, however, after two burst of fire had positioned himself and fired a burst which hit the militant and he was hit before he was on the ground. The killed militant was identified as Maqsood Bhai r/o Sialkot, Pakistan code Abu Shaheen, a Coy Comdr of al-Badar group and three AK Rifles with magazines and amn. were recovered.

In this encounter, late Shri S. V. Sharma, Commandant, late Shri Bir Singh, SI, late Shri T. John Kennedy, Constable and Shri S. B. Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th November, 1998.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 119-Pres/99.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri S. K. Singh,
Assistant Commandant,
7th Bn., CRPF.

Sh. Bijender Singh,
Constable,
ITBP.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

A specific information was received by Shri Kabul Singh, Commandant on the presence of some hard core foreign militants in Village Chirwar. Accordingly, a combing operation was planned. On 2nd Nov., 1998, while the troops were closing, suspicious movement was observed in a house by Shri Ashok Kumar Rana Assistant Commandant who was leading his Coy in this operation. Shri Rana immediately conveyed the message to his Commandant, who in turn called out the men and women of the house for search of the house.

At the same time Shri Abhi Chand, AC, was also ordered to seal the other route and lay ambush. In the mean time the Police party was fired at by the militants. The Police party retaliated it. In the exchange of fire, Sh. Kabul Singh Commandant and Shri Rana killed three militants of Lasker-e-Toiba. A subsequent Volley of firing from militants seriously injured Shri Rana killing him on the spot.

Remaining militants, taking advantage of dull visibility got away from the area and fired at the cordon party heavily. Shri Kabul Singh ordered Shri Abhi Chand, AC and his men to chase and trap the terrorists in a most trying situation. Shri Chand selected a police party consisting of Shri Vijay Kumar, Sushil Kumar, Panna Lal and Bijender Singh, Constable to chase the militants. This party crawled and spotted the terrorists at the out skirts of the village resulting in an exchange of fire. Shri Chand, Vijay Kumar and Sushil Kumar braving volley of fire surrounded the militants and shot dead one person who was later identified as Abu Rehman self styled, Bn. Commander of Lasker-e-Toiba. Shri Panna Lal and Bijender Singh continued to chase the other militants and engaged the terrorists at a distance of one Km and in the ensued encounter shot dead one militant who later on identified as Abu Hamid. who was a self styled Bn. CDR of militant outfit Lasker-e-Toiba.

In this operation five hard core militants of Lasker-e-Toiba were killed and the following arms/Ammunition were recovered :—

AK-56 Rifles—03 Nos.

AK-47 Rifles—02 Nos.

Wireless set—03 Nos.

Magazine—15 Nos.

Ammunition live—143 Nos.

Balistic Cartg.—02 Nos.

Grenade Hand/Rifles—12 Nos.

Compass—02 Nos.

Rubber Stamp of

Dist Amir Aslamabad—01 No.

Lasker-e- Toiba

Identity Card—01 No.

Precis in Urdu—01 No.

Diaries with loose paper—07 Nos.

In the above encounter, S/Shri Abhi Chand, Asstt. Comdt., Vijay Kumar. Sushil Kumar, Panna Lal and Bijender Singh. Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5 with effect from 2nd November, 1998.

BARUN MITRA
Dy. Secy.

No. 123-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Indo-Tibetan Border Police :

Name and Rank of the Officer.

Shri Subhash Chand,
Constable,
19th Bn., ITBP.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 25-11-1998 at about 1500 hrs., militants ambushed one of ITBP Vehicle carrying a mobile party from Vailoo to Kokernage. Thereupon the Comdr. of the vehicle ordered the driver to speed up the vehicle to get away from the ambush area and reach to safer place for launching a counter ambush. During the enemy ambush, militant fired a grenade which entered ITBP vehicle. Shri Subshash Chand sitting in the vehicle on seeing the grenade caught it and threw it out of the vehicle knowing fully that this was a charged grenade. The grenade exploded in the air causing splinter injuries to Shri Chand. This action of Shri Chand saved the entire ITBP party in the vehicle.

In this encounter Shri Subhash Chand, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and dovtion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th November, 1998.

BARUN MITRA
Dy. Secy.

No. 124-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Indo-Tibetan Border Police :

Name and Rank of the Officers

Shri Ashok Kumar Rana,
Asstt. Commandant,
19th Bn., ITBP.

(Posthumous)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 5th January, 1998, at around 0930 hrs., on a reliable source about the movement of Anti-National elements in village Gaoran, Shri Rana deployed 3 parties to seal the escape routes. The A. N. Es came in contact with the party led by Shri Rana and an encounter took place. In the encounter, 1 dreaded militant later identified as Abdul Rashid Mohamd, of Harkat-Ul-Ansar outfit was killed on the spot and other escaped towards a nearby house from where they continued to fire upon ITBP troops During exchange of fire. A. N. Es put the house on fire to create confusion in order to escape. The house owner and his family members were trapped inside. Shri Rana along with others entered the blazing house and evacuated 4 men and 3 women from blazing in-ferno. On search of the house it was found that the A. N. Es had escaped taking advantage of the blazing house, poor visibility and terrain condition. The following arms/ammunition were recovered :—

(i) AK-56 Rifle—01.

(ii) AK-56 Rifles Magazine—03.

(iii) AK-56 Live Ammunition—60 Rds.

(iv) Hand Grenade—01.

(v) Empty cases—10 Nos.

In this encounter late Shri A. K. Rana, Asstt. Codmt, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently

carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th January, 1998.

BARUN MITRA
Dy. Secy.

No. 125-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri C. B. Chandra Hasa. (Posthumous)
Constable,
5th Bn., CRPF.

Sh. M. Ramesh Bhai
Constable,
5th Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 8-4-1998 at about 2000 hrs., on receipt of a specific information received through Special operation Group of Jammu and Kashmir Police camp at Safapora that some militants of Hizbul Muzahiddin Group were coming to Kumhar Mohalla for taking their meals late night, Shri R.S. Shekhawat, Asstt. Commndt., planned to lay an abmush on the way. After briefing the troops, he left along with one platoon of his coy and four personnel of Special Operation Group of Jammu and Kashmir Police and laid a hasty ambush on the way to Kumhar Mohalla.

At about 2315 hrs, movement of some suspected personnel firstly came to notice of Constable Shri M. Ramesh Bhai and Constable Sh. C. B. Chandra Hasa who were positioned in the front of this cut off group. They challanged the suspected militants and after confirming they immediately opened fire on the militants resulting, injuries to one of them. Militants also retaliated and fired upon the scouts with heavy fire. Constables Bhai and Chandra Hasa saw the militants dragging their injured colleague and tried to chase the militants with the aim to kill all the militants. Constable M. Ramesh Bhai fired 15 rounds of 7.62 mm SLR and Constable Hasa fired 18 rounds from his SLR 7.62 mm. Unfortunately sudden burst fire on militants hit both, resulting serious bullet injuries to them. Meanwhile militants managed to escape bullet injuries to them. Meanwhile militants managed to escape taking advantage of darkness. Later on Sh. Chandra Hasa was declared dead in Army Hospital.

In this encounter late Shri C. B. Chandra Hasa, Constable and Shri M. Ramesh Bhai, Constable displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the psecial allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th April, 1998.

BARUN MITRA
Dy. Secy.

No. 126-Pres, 99. The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Central Industrial Security Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri Birendra Kuma Singh. (Posthumous)
Sub Inspector.
CISF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 14-9-97, SI/Exe Birendra Kumar Singh was the Duty Officer-in-Charge of the CISF Control Room at HPCL, Vishakapatnam from 0500 hrs. At about 0610 hrs. information was received about the leakage of gas a round the LPG storage yard at the CISF Control Room by the Duty Officer, Shri Singh. Apprehending danger from the leaking Gas, Shri Singh at once informed the fire safety department; he also began warning CISF Jawans and employees of the Undertaking of the grave danger to their lives. CISF barrack is also located near the South Main Gate and Shri Singh passed message to alert the Jawans to move to safer place. He ran from duty point shouting at people to leave and alerted other personnel to move a safer place in total disregard of the certain danger to his life. He was warned by others also to flee from the proximity of the gas leak, but exhibiting bravery he kept warning others to flee from there. Due to the leakagt of gas, a major explosion occurred around 0630 hrs. and its explosive impact was such that the entire Undertaking Admn. Building, CISF Control Room etc. were blown up and razed to the ground. Shri Birendra Kumar Singh died instantly in the explosion while saving the lives of his colleagues and employees of HPCL. Thus Shri Birendra Kumar Singh laid down his life in the highest tradition of the Force.

In this encounter late Shri B. K. Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devoetion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th September, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy.

No. 127-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Tamil Nadu/Andhra Pradesh Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri P. Thamaraikanna,
Supdt. of Police,
Tamil Nadu.

Shri J. Lakshmanasamy,
Inspector,
Tamil Nadu.

Shri D. Gandhi,
Inspector,
Tamil Nadu.

Shri D. Ramachandra Rao,
ASI,
Andhra Pradesh,

Shri K. H. H. Subramanian,
Constable,
Andhra Pradesh.

Shri D. D. V. Prasad,
Constable,
Andhra Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

In the cases relating to the Coimbatore serial Bomb Blasts on 14-2-98 by the terrorist outfit 'AL-UMMA', while 166 accused had been nabbed, some of the dreaded terrorists had still evaded arrest. Shri Thamaraikannan and his team tracked down seven terrorists to Rajahmundhry in Andhra Pradesh cornered two armed terrorists viz. Siddig Ali and Yusuf @ Shahjahan on 11-10-98 at about 15.15 hrs. While J. Prabhakar Rao, DSP, Rajahmundhry and Inspector Gandhi closed in on the two accused from behind, Thamaraikannan, and Inspector Lakshmanasamy and party confronted them from the front, and in an operation, over-powered/disarmed them before they could use the loaded brass-revolver and the Brazilian knife. While Siddig Ali was thus caught alive by Thamaraikannan, J. Prabhakar Rao and Gandhi, Yusuf @ Shahjahan was over-powered by Lakshmanasamy assisted by S/Shri Ramachandra Rao, D. D. V. Prasad and Subramanian. In a swift follow up, Thamaraikannan and party, with mobilized additional reinforcements, rushed to the hide out of the remaining 5 terrorists at Vamsee Apartment, cordoned the hide out with one party while another party led by Thamaraikannan, charged into the apartment on the first floor where the 5 terrorists armed withloaded revolver and explosives were hiding and getting ready to escape. Thamaraikannan and Rao pounced upon Zubair; while Zubair dashed towards the loaded revolver kept in the nearby shelf, over-powered him and prevented him or any other terrorist from reaching the revolver, thereby preventing casualties to the team. Simultaneously, troops.

Lakshmanaswamy and Gandhi, ASI Rao, PCS Prasad and Subramanian, swiftly over-powered the other terrorists viz. Mohammad Ansari, Nawab Khan, S. M. Buhari and Idayath Ali Khan and effectively prevented them from using the arms/explosives. Thus five of the 7 hard core terrorists were caught alive in the two successive operations. They also carried rewards of Rs. 2 lakhs each for their arrest. A letter from S. A. Basha was seized during the operation which revealed their future plans of action.

2. In this encounter S/Shri P. Thamaraikanna, SP, J. Lakshmanasamy, Inspr. D. Gandhi, Inspr., D. Ramachandra Rao, ASI, K. H. H. Subramanian, Constable and D. D. V. Prasad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

3. This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance addmissible under Rule 5, with effect from 11th October, 1998.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 128-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Gour Hari Sao, Constable. (Posthumous)

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 11th March, 1998 at about 19.00 hrs. some armed naxalites suddenly started heavy firing and throwing bomb grenades at P. S. Tarla Guda. Shri Gour Hari Sao, Constable who just had his food tried to snatch the rifle of one of the advancing naxalites who attempted to take him hostage. He also alerted the force by shouting but during the struggle with the naxalites he was badly injured and later on succumbed to his injuries. At this S.H.O. asked the force to take position and retaliated. Accordingly, Constable Man Bahadur moved up to a window, mounted his L.M.G. and returned the fire. Also Constables Singh, Giri and Gota took frontal position and despite maximum exposure to firing from naxalites repulsed their attack and compelled them to flee. In the morning when firing stopped, eight naxalites were found killed. Two AK-47, three 0.303 rifles, 14 hand grenades and other live ammunition was seized from the scene. S.H.O. Torky and H. C. Saket were also injured in the cross firing.

In this encounter late Shri G. H. Sao, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th March, 1998.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 14th September 1999

RESOLUTION

No. VIII-2/98-IJSC.—The Committee for the Studies of Economic Development in India and Japan set up vide Planning Commission Resolution No. F. 13(39)/62-Admn.I dated June 1, 1962 and redesignated as "India Japan Study Committee" vide Resolution No. VIII-2/79-IJSC dated January 15, 1979 and last reconstituted vide Planning Commission Resolution No. VIII-2/98-IJSC dated November 24, 1996 is hereby disbanded with immediate effect.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Ministries of Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Secretary to the President, the Military Secretary to the President and the Indian Ambassador in Japan.

Ordered also that a copy be published in the Gazette of India.

ARVIND KUMAR, Director (Admn.)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 10th September 1999

No. F. 9-4/97-U-3.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare the Institute of Armament Technology, Pune, as Deemed-to-be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

CHAMPAK CHATTERJI, Jt. Secy

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित—1999
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, DELHI—1999